ह. स. कं. क.

HSCC

32वीं
वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)
(एक मिनी–रत्न कम्पनी)

लाभांश प्रस्तुतिकरण समारोह – 2014–15

दिनांक 4 नवम्बर, 2015 को श्री प्रवेश पाण्डेय, सी. एम. डी., एच एस सी सी ने 4.82 करोड़ रुपये (प्रदत्त पूंजी का 200%) का श्री भानु प्रताप शर्मा, माननीय सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की उपस्थिति में श्री जगत प्रकाश नड्डा, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को लाभांश चैक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ. (प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस., श्री अरुण पण्डा, अतिरिक्त सचिव, डॉ. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव, श्री अंशु प्रकाश, संयुक्त सचिव, श्री के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव, श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजी.), श्री एस. सी. गर्ग, मुख्य महाप्रबंधक उपस्थित थे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण मंत्री

श्री श्रीपाद येस्सो नाईक
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य मंत्री

श्री भानु प्रताप शर्मा
माननीय सचिव
एवं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

निदेशक मंडल

श्री ज्ञानेश पाण्डेय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती विजया श्रीवास्तव
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री के. बी. राजोरिया
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस. के. जैन
निदेशक (इंजीनियरिंग)

श्री देवीप्रसाद दत्ता
अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक

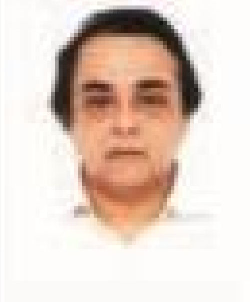

प्रो. अनीता ए. भावे
अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक

डॉ. सुनील
अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक

विषय–सूची

अध्यक्ष महोदय का भाषण 01

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन तथा कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति 03

सेवा वर्णक्रम 04

शेयर धारकों को सूचना 05

कार्य निष्पादन पर एक नजर 06

वित्तीय सारांश 08

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 09

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 25

सचिवालय लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 27

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 32

31.03.2015 को तुलन–पत्र 39

31.03.2015 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा 40

31.03.2015 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण 41

अनुसूचियां 1 – 18 42

लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां 48

वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियां 52

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय शेयरधारकों,

एच एस सी सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, मुझे आपकी कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम–सभा बैठक (ए.जी.एम.) में आप सभी का स्वागत करते हुये बेहद खुशी हो रही है। आज इस अवसर पर आपके आगमन तथा वर्ष के दौरान कम्पनी को आपके अमूल्य सहयोग और समर्थन के लिये मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

वर्ष 2014–15 की डायरेक्टर्स रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा–परीक्षित खाते पहले से ही आपके पास हैं तथा आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ने की आज्ञा चाहूँगा।

उपलब्धियों की समीक्षा

जैसा कि आपने वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, वर्ष 2014–15 के दौरान, हमने विकास की दर्ज पर तेजी से प्रगति करते हुये कॉरपोरेट रणनीति एवं कुशलता के उच्चतम मानकों पर चलकर एक और वर्ष पूरा कर लिया है जो कम्पनी के शानदार वित्तीय परिणाम एवं उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विकसित से पस्त अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी और मुद्रास्फीति में अधिकतम गिरावट तथा व्यापार जगत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कम्पनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके यह उपलब्धि हासिल की गई है।

मुझे आपको सूचित करते हुये खुशी हो रही है कि 31 मार्च, 2015 को वर्ष की समाप्ति तक आपकी कम्पनी ने समस्त क्षेत्रों एवं कार्यकलापों में निरन्तर प्रगति की है।

कम्पनी ने अब तक की सबसे उच्चतम कुल आय, परामर्श शुल्क, कर–पूर्व लाभ, कर–पश्चात लाभ, लाभांश एवं आरक्षित (रिज़र्व) अर्जित किया है।

मुझे शेयर–होल्डर्स को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, गत वर्ष की 60.46 करोड़ रुपये वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आय 80.60 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 8.62% का अधिकतम लाभ हुआ है जोकि अब तक की उच्चतम आय है। गत वर्ष की 7.63% वृद्धि के परिणामस्वरूप परामर्श शुल्क 39.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 42.28 करोड़ रुपये हो गया है, जो भारत में औसत औद्योगिक विकास दर की तुलना में अधिक है।

कम्पनी ने गत वर्ष के कर–पूर्व लाभ के तहत 37.14 करोड़ रुपये के मुकाबले 37.96 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। कम्पनी ने वर्ष 2014–15 के तहत कर–पूर्व लाभ पर 2.18% की वृद्धि अर्जित की है। कम्पनी की गत वर्ष 2.34% वृद्धि के परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ 23.96 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष बढ़कर 24.54 करोड़ रुपये हो गया है।

मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि कम्पनी ने वर्ष 2014–15 में वर्तमान वर्ष के लाभ के अलावा प्रदत्त शेयर पूंजी (पेड–अप कैपिटल) 4.92 करोड़ रुपये पर 206% का सबसे उच्चतम लाभांश अर्जित किया है। लाभांश घोषित करने के लिये कम्पनी का यह लगातार 31वां वर्ष है। इस वर्ष के लाभांश का भुगतान करने पर, भारत सरकार को भुगतान किया गया संचयी लाभांश कम्पनी की कुल इक्विटी पूंजी के 17 गुणा के आस–पास 40.42 करोड़ रुपये होगा।

चल रही परियोजनाएं

निर्धारित वर्ष के दौरान कम्पनी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके संबंध संस्थानों, राज्य सरकारों तथा कुछ अन्य संस्थानों से सुधी–शोधी (ओपन–बिडिंग) के तहत, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना एवं उपकरण प्रबंधन इत्यादि विभिन्न अति–विशिष्ट एवं चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम कार्य पुरस्कृत किया गया था।

मिनी रत्न स्थिति

सितम्बर, 2002 से एच एस सी सी लगातार मिनी रत्न – II होने की उपाधि को बनाये हुये है तथा अभी मिनी रत्न – I का दर्जा के लिये कार्यवाई किया है और इसी के लिये लागू किया है। यही विचाराधीन है।

समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

कम्पनी का षीर्ष–प्रबंधन रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से लगातार निरंतर कारोबार में वृद्धि के साथ ही साथ कर–पूर्व लाभ प्राप्ति जैसे; लागत नियंत्रण, संसाधनों और सिस्टम में सुधार के इष्टतम उपयोग इत्यादि करने के लिये प्रयास कर रहा है। लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.), भारत सरकार के दिषा–निर्देषों के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) वर्ष 2013–14 के तहत कम्पनी ने " उत्कृष्ट " रेटिंग हासिल की है। कम्पनी का यह लगातार सातवां वर्ष है जब उसे " उत्कृष्ट " रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके अलावा, अच्छे परिणामों के आधार पर, कम्पनी को वर्ष 2014–15 के लिये भी समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के मूल्यांकन के आधार पर उसे उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

कम्पनी के समस्त कार्यकलाप हैल्थ–केयर से सबंधित हैं, अतः उसके समस्त कार्यकलाप एवं प्रचालन परोक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दायित्वों से जुड़ें हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, स्वच्छ भारत कोष के अधीन स्वच्छ गंगा कोष के तहत 40 लाख रूपये तथा रक्त–दान कैम्प हेतु 20 हजार रूपये का अंषदान दिया है।

विश्व–व्यापी कारोबार

आपकी कम्पनी ने सार्क–समूह के देषों में विदेष मंत्रालय के माध्यम से विदेषों में भी व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

वृद्धि पर दृष्टि

भारत और ओवरसीज देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मूल्य–वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाएं, अन्य बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं में अपनी कोर क्षमता का लाभ एवं अपने पेषेवर कर्मचारियों को एक बल–वर्द्धक और सक्रिय काम करने का माहौल पैदा करके परामर्षदायी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कम्पनी के रूप में जाना जाये।

कम्पनी को विष्व स्तर के परामर्षी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवष्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

निगमित प्रशासन

कम्पनी के समस्त प्रदर्षन में व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के क्रम में अपने व्यवहार में पारदर्षिता और देष के कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिष्चित किया जाता है, जैसे; देख–रेख, पारदर्षिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा उचित प्रकटीकरण के पहलु।

आभारोक्तियां

अन्त में, निदेषक मण्डल तथा स्वयं अपनी की ओर से, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेष मंत्रालय तथा हमारे सभी सम्मानीय हित–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका कम्पनी पर निरन्तर विष्वास बना हुआ हैं तथा जो हमारे प्रेरणा–स्रोत हैं। मैं अपने सभी सम्मानीय षेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्षन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे षक्ति–स्रोत रहे हैं।

मैं कम्पनी के मूल्यवान ग्राहक; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेष मंत्रालय (एम.ई.ए.), एम्स, पी.जी.आई., चण्डीगढ़, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केरला सरकार, हिमाचल प्रदेष सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेष सरकार तथा अन्य बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उनके निरन्तर समर्थन और विष्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कम्पनी का ध्यान, हमेषा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.), सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उनके समस्त स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और निरन्तर प्रयासों के लिये सराहना करता हूँ।

आपके द्वारा मुझे दिये गये इस सहयोग और समर्थन के लिये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कम्पनी सफलता की नई बुलदियों को छुयेगी।

धन्यवाद

(ज्ञानेष पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक

स्थान :– नई दिल्ली
तिथि :– 02.11.2015

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन और कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

दृष्टि

" भारत एवं ओवरसीज देषों में हैल्थकेयर से जुड़ी मूल्य–वर्द्धित, समन्वित एवं नवीनतम सेवाओं को उपलब्ध करवा कर इसके विद्धवान संव्यवसायिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बल–वर्द्धक एवं कुषलतम कार्य–संस्कृति का निर्माण करनी वाली प्रमुख कम्पनी के रूप में जाना जाये। "

लक्ष्य

" भारत एवं ओवरसीज देषों में भवनों का निर्माण एवं विकास तथा हैल्थकेयर तथा संबंधित अन्य क्षेत्रों में परामर्षदायी संबंधी सेवाओं तथा व्यापक संकल्पना, प्रोजैक्ट परियोजना, वास्तुविद्ध, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण संबंधित कार्यों के विद्धता–पूर्वक ढ़ांचे को उपलब्ध करना। "

कॉरपोरेट, मूल्यांकन

- ग्राहकों की मूल्यवृद्धि पर विशेष ध्यान देना।
- संगठन के अन्दर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना।
- विद्धता संगठन का सर्जन करना।
- टीम–स्प्रीट को अपनाकर हमारे समस्त कार्यकलापों को योग्य बनाना।

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कर्ष परामर्शी सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहक के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना ।

सेवा–वर्णक्रम

संकल्पनात्मक शिक्षण एवं प्रबंधन परामर्श

- पुर्नवास आधारभूत सर्वेक्षण एवं अर्थशास्त्र शिक्षण
- जानपदिक सर्वेक्षण
- निकाय योजना
- साध्यता शिक्षण
- पुनर्निर्माण / पुनर्गठन शिक्षण
- मूल्यांकन शिक्षण

प्रापण

- औषधियां एवं दवाईयां
- मेडिकल उपस्कर
- अन्य उपस्कर
- संचार माध्यम
- उपयंत्र
- फर्नीचर एवं जुड़नार

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना योजना तथा कार्य का पुरस्कार
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- ठेकों का प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेशण
- साईट वितरण
- स्थापना
- जांच–पड़ताल एवं चालू करना
- प्रशिक्षण

सूचना तकनीक प्रणालियां

- स्वास्थ्य एम.आई.एस.
- कार्यप्रणाली समाकलन

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- प्रमुख डिजाइन
- वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
- अभियांत्रिक डिजाइन
- उपस्कर योजना
- व्यर्थ प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

अभियांत्रिक शिक्षण

- नवरूपण / पूनर्वास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता / कार्यकुशलता संशोधन

सूचना

संख्या : एच एस सी सी / ए.जी.एम. / 32वीं / 2015 दिनांक : 27.10.2015

यह इसके द्वारा एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि व्यापार सम्बन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में सोमवार, दोपहर 12 : 30 बजे, दिनांक 02 नवम्बर, 2015 को कमरा नंबर 155ए विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में कम्पनी की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है :–

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31.03.2015 तक ऑडिट किये गये तुलन–पत्र, आज तक के दिनांक में समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि खाता और कैश–फ्लो स्टेटमेंट के विवरण के रुप में अंकित तुलन–पत्र को अपनाने के लिए, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ निदेशकों की टिप्पणीयों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए लाभांश की घोषणा।

कृते बोर्ड की ओर से आदेश

(रविन्द्र कुमार पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

सेवामें,

1. कम्पनी के समस्त शेयरधारक
2. कम्पनी के समस्त बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स
3. कम्पनी के सांवधिक लेखा–परीक्षक

टिप्पणियां :

1. एक सदस्य बैठक में भाग लेने और बैठक में मतदान करने का हकदार, एक प्रोक्सी नियुक्त करने के लिए, भाग लेने के लिए और उसके बजाए स्वयं के वोट और उसे कम्पनी का सदस्य होने का हकदार नही है।
2. दिनांक 19.02.2015 को श्री गौतम गुहा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एच एस सी सी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स में अंश–कालिक शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया है।

कार्य निष्पादन पर एक नजर

दिनांक 31.03.2015 को वर्ष की समाप्ति तक एक बार फिर कम्पनी के लेखों की समीक्षा करने पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करते हुये अधिकतम कारोबार 6385 लाख रूपये तथा उच्चतम कर पष्चात लाभ (PBT – Profit After Tax) 2454 लाख रूपये हुआ है।

वर्ष 1983 से कम्पनी अपने अस्तित्व में आयी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी 40 लाख रूपये के परिणाम स्वरूप 240 लाख रूपये प्रदत्त शेयर पूँजी से बढ़कर बाद में इसने अपनी आरक्षित एवं सरप्लस पूँजी से 200 लाख रूपये के बोनस जारी किये हैं। दिनांक 31.03.2015 को कम्पनी का नेटवर्थ बढ़कर 13933 लाख रूपये को पार कर गया है।

इस बदलते परिदृष्य में, यह विकास को बनाए रखने के लिए काफी कम है। एक ही अवसर व्यापार करने के बेहतर तरीकों को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कारोबार के नवीनतम अवसर तलासने तथा नये क्षेत्रों में कारोबार में विविधता लाने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता की संभावना प्रतिबद्धता एवं नई वास्तविकताओं को संरचित दृष्टिकोण की डिग्री पर निर्भर करता है।

हम अपने अतिविषिष्ट ग्राहकों को गुणवत्ता और समय सीमा दोनों को अपनाकर हैल्थकेयर क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन, नवीनतम सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(लाख रुपये में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आय	3346	4458	5835	6045	6385
कर पूर्व लाभ	1321	2352	3600	3714	3795
निवल लाभ	834	1472	2257	2398	2454
निवल मूल्य	7872	8948	10587	12081	13933
लाभांश	173	300	468	492	492
कुल आर्डर–बुक (शुल्क)	2195	5904	24928	30089	10835
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि निर्धारण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट (प्रत्याशित)

कुल आय

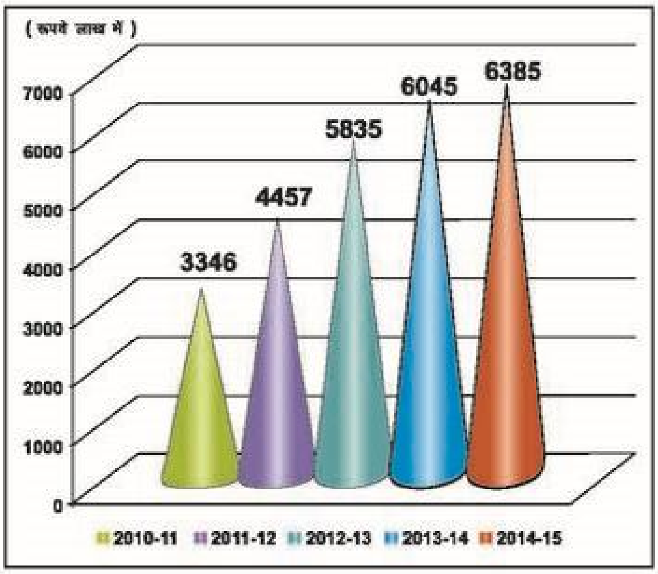

निवल मूल्य

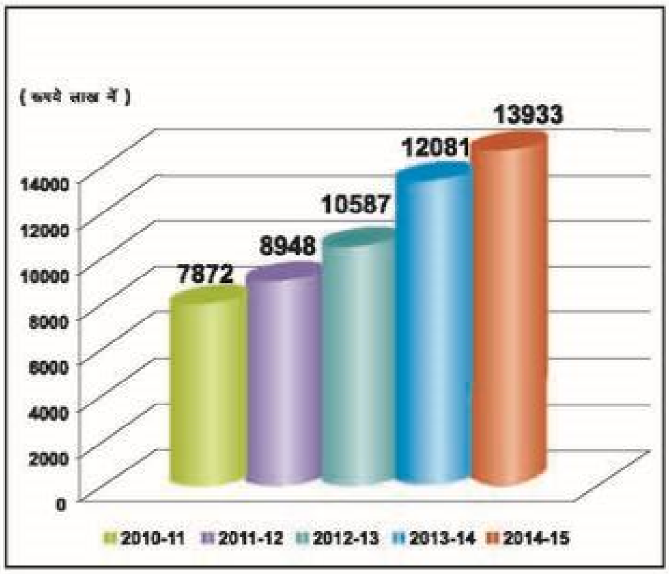

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.)

श्री भानु प्रताप शर्मा, माननीय सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में दिनांक 2 नवम्बर, 2015 को 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) का आयोजन हुआ। 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) में डॉ. जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस., श्री सी. के. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव, स्वा. एवं परि.कल्या.मंत्रा., श्री अरुण पान्डा, ए. एस., स्वा. एवं परि.कल्या.मंत्रा., डॉ. राकेश कुमार, जे. एस., स्वा. एवं परि.कल्या. मंत्रा., श्री अंशु प्रकाश, जे. एस., स्वा. एवं परि.कल्या.मंत्रा., श्री के. सी. सामरिया, जे. एस., स्वा. एवं परि.कल्या.मंत्रा., श्री प्रदोश पाण्डेय, सी.एम.डी., एच एस सी सी, श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजी) तथा एच एस सी सी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

वित्तीय सारांश

इस दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	160	160	160	240	240	240	240	240	240	240
आरक्षित एवं सरप्लस	4554	5111	5695	6341	6999	7632	8708	10347	11841	13693
निवल मान	4714	5271	5855	6581	7239	7872	8948	10587	12081	13933
कुल स्थायी परिसम्पत्तियां	749	727	707	675	632	615	600	685	693	649
कार्यशील पूंजी	3901	4455	5105	5811	6440	7117	8568	10200	11797	14207
लगाई गई पूंजी	4714	5271	5855	6581	7072	7731	9168	10885	12710	15225
परिचालन आंकडे										
परामर्श शुल्क	1845	1678	1740	1936	2097	2311	2929	3380	3919	4228
ब्याज और अन्य आय	785	845	1356	1337	1218	1034	1529	2455	2126	2157
कुल आय	2630	2523	3096	3273	3315	3346	4458	5835	6045	6385
व्यय	1115	1224	1711	1696	2002	1993	2048	2203	2287	2521
सकल लाभ	1515	1299	1385	1577	1385	1357	2409	3632	3758	3864
मूल्यह्रास	42	45	45	44	39	36	58	32	44	69
कर पूर्व लाभ	1474	1254	1340	1533	1346	1321	2352	3600	3714	3795
कर पश्चात लाभ	962	798	836	970	859	834	1472	2257	2398	2454
लाभांश	216	208	208	208	173	173	300	468	492	492
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	133	130	132	139	135	132	124	123	143	153
(नियमित वेतनमानों पर)										
अनुपात										
पी.बी.टी./कुल आय (%)	56	50	43	47	41	39	53	62	61	59
शुद्ध लाभ/कुल आय (%)	37	32	27	30	26	25	33	39	40	38
निवल लाभ/निवल मान (%)	20	15	14	15	12	11	16	21	20	18
प्रति कर्मचारी कुल आय	20	19	23	24	25	25	36	47	42	42
प्रति कर्मचारी अर्जन (ई.पी.एस.) (रूपये)	601	499	523	404	358	347	613	940	999	1022
प्रति–शेयर बुक–वेल्यू (रूपये)	2946	3294	3659	2742	3016	3280	3728	4411	5034	5805

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवामें,

अंशधारकों,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन.	:	यू 74140 डी. एल. 1983 जी. ओ. आई. 015459
ii)	पंजीकरण तिथि	:	30.03.1983
iii)	कम्पनी का नाम	:	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
iv)	श्रेणी	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
v)	पंजीकृत कार्यालय	:	205, ईस्ट एण्ड प्लाजा, प्लॉट नम्बर 4, डी.डी.ए.– एल.एस.सी. सेन्टर – II, वसुंधरा इंक्लेव, दिल्ली – 110096
vi)	कॉरपोरेट कार्यालय	:	ई–6(ए), सैक्टर – 1, नौएडा – 201301
vii)	सूचीबद्ध कम्पनी	:	लागू नहीं

परीक्षित लेखों का विवरण

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों और प्रचालन से संबंधित 32वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2013–14 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वर्ष 2014–15 के समस्त वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है जो कम्पनी की ठोस एवं स्वस्थ स्थिति को दर्शाते हैं :–

(लाख रूपये में)

विवरण	2014-15	2013-14
सकल आय	6385	6045
सकल व्यय	2521	2287
सकल लाभ	3864	3758
मूल्यह्रास	69	45
कर पूर्व लाभ	3795	3714
कराधान (निवल)	1341	1316
कर पश्चात लाभ	2454	2398
लाभांष	492	492
निवल मान	13933	12082
प्रति–षेयर अर्जित (रूपये)	1022.44	999.09
निम्न प्रति–षेयर अर्जित	1022.44	999.09

इस वर्ष 31 मार्च, 2015 तक आपकी कम्पनी ने संतोशजनक उपलब्धियॉं अर्जित की हैं। गत वर्ष कम्पनी का सकल लाभ उसकी सकल आय के मुकाबले बढ़कर 5.62% तथा कुल लाभ 2.34% हो गया है।

पूंजीगत ढांचा (Capital Structure)

वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी 500 लाख रूपये और 240.01 लाख रूपये तक स्थिर रही है।

लाभांश (Dividend)

वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी के प्रदर्षन को ध्यान में रखते हुये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रदत्त शेयरपूंजी पर @205% की दर से कम्पनी के सकल लाभ का 492.04 लाख रूपये की राषि संतुति की है। यह वार्षिक आम सभा बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिफारिषों अनुसार 20.05% पूर्व कर लाभ से अधिक लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी निरंतर 31 वर्षों से लाभांश की घोषणा करती आ रही है तथा वर्ष 2014–15 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संचयी लाभांष 4042.27 लाख रूपये था।

सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन (Appropriation To General Reserve)

लाभांश और आयकर के लिए प्रावधान रखने के बाद निदेशक मण्डल ने लाभ एवं हानि खाते में लिखे शुद्ध लाभ में से 200 लाख रुपये (पिछले वर्ष 200 लाख रुपये) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की सिफारिश की है। सरप्लस के अलावा 31.03.2015 तक संचयी सामान्य आरक्षित निधि 13692.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 11840.67 लाख रूपये) हो गयी है।

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से धनराशि

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देनदारियों के विभिन्न मदों के तहत मानी गई धनराषि का विवरण निम्नलिखित है :–

क.	**वर्तमान परिसम्पत्तियां (Current Assets)**	रूपये लाख में
–	नकद एवं नकद समकक्ष	101249.94
–	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14684.50
–	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	2001.46
		117935.90
ख.	**वर्तमान देनदारियां (Current Liabilities)**	
–	अन्य वर्तमान देनदारियां	**117935.90**

निष्पादित विशेषताएं (Performance Highlights)

कम्पनी अपने समस्त कार्यकलापों एवं गतिविधियों में निरन्तर प्रगति कर रही है। अपनी सेवाओं को विस्तृत करने हेतु कम्पनी द्वारा विभिन्न कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। अपितु, कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये तकनीकी क्षेत्रों में उच्च डिग्री प्राप्त कुछेक विषेषज्ञ और परामर्षदाताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान, कम्पनी को कुछेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए परामर्षी एवं परियोजना में प्रबंध सेवाएं प्रदान करने का काम तथा साथ ही डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयां एवं औषधि इत्यादि का भी काम मिला।

वर्ष 2014–15 के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके संस्थानों पर 9,500 लाख रूपये तथा राज्य सरकारों तथा उनके अन्य संस्थानों से 436 लाख रूपये तथा खुली निविदाओं से 899 लाख रूपये की राषि बुक की गई थी।

एच एस सी सी इस समय जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए वास्तुविद संबंधी योजना, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, परियोजना प्रबंधन, प्रापण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसकी सूची अनुबन्ध – I में दर्षायी गई है :–

समझौता – ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

कम्पनी पिछले एक दषक से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कम्पनी को अच्छे परिणमों के लिये वर्ष 2013–14 हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा " सर्वश्रेष्ठ " आंकी गई है तथा आषा है वर्ष 2014–15 में अच्छे परिणामों के आधार पर कम्पनी को " सर्वश्रेष्ठ " आंकी जाये। कम्पनी का यह लगातार छटा वर्ष है जब इसे " सर्वश्रेष्ठ " आंका जायेगा।

विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange)

(लाख रूपये में)

	2014–15	2013–14
क. खर्चे (Expenditure)		
– यात्रा	5.83	3.12
– सी.आई.एफ. पूंजीगत माल पर आयात (ग्राहकों की ओर से)	913.17	47.44
ख. आय (Income)	–शून्य –	– शून्य –

मानव संसाधन (Human Resources)

किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होती है। कंपनी में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 153 कर्मचारी नियमित वेतनमान थे तथा जिनमें से 60 कर्मचारी स्थाई–कार्यकाल तथा 42 कर्मचारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 कर्मचारी षारीरिक रूप से विकलांग वर्ग का है। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। कम्पनी संगठन में अल्प–संख्यकों के रोजगार का स्तर बनाये रखने का हर संभव प्रयास करती है। बदलते परिवेष की आवष्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी कर्मचारियों को प्रषिक्षण संबंधी प्रति कर्मचारी लगभग 1 मेनडे (कुल 253 मेन–डेज़) विभिन्न प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिषा में उनकी दक्षता में और बढोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है।

कर्मचारियों का ब्यौरा (Particulars of Employees)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 134 के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा, कंपनी नियमावली, 1975 के साथ पठित, समय–समय पर संषोधन के रूप में, कम्पनी के कर्मचारियों में से कोई भी प्रतिवर्ष 60 लाख रूपये या 5 लाख रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक की प्राप्ति से अधिक नहीं था।

निगमित शासन (Corporate Governance)

आपकी कम्पनी में स्वस्थ निगमित शासन को बनाये रखने के लिए पारदर्षिता, अखण्डता, संव्यसायिकता तथा जवाबदेही पर विषेष ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (D P E) द्वारा निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्षी सिद्धांतानुसार, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को सूचित करते हुये इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जमा कर दिया जाता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (D P E) जारी निगमित प्रषासन हेतु दिषा–निर्देषों के अनुसार, एक " कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट " तथा एक " प्रबंधन चर्चा और विष्लेषण रिपोर्ट " क्रमषः अनुबंध – II और III में रखी गई है।

निदेशक मंडल (Board of Directors)

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक नामित / नियुक्त किये गये हैं :–

श्रीमती विजया श्रीवास्तव – 19.02.2015 से
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री के. सी. सामरिया – 05.08.2014 से
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात निम्नलिखि निदेशक कार्यालय छोड़ कर गये हैं :–

श्री गौतम गुहा – 12.03.2014 से 19.02.2015 तक
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस. के. राव – 21.09.2012 से 05.08.2014 तक
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

बोर्ड द्वारा श्री गौतम गुहा तथा श्री एस. के. राव को उनके निदेषक के रूप में कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए एच एस सी सी के निदेषक बोर्ड द्वारा सराहा गया है।

(ग) **वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के समीक्षाधीन अवधि में कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक थे :–**

श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच एस सी सी	– 26.07.2012 से आगे
श्री देबीदास दत्ता अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	– 02.01.2013 से आगे
श्री अनील ए. मसंद अंष–कालिक अ–शासकीय निदेशक	– 02.01.2013 से आगे
प्रो. सुशील अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	– 02.01.2013 से आगे
श्री एस. के. जैन निदेशक (इंजीनियरिंग)	– 16.04.2013 से आगे
श्री के. सी. सामरिया संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	– 05.08.2014 से आगे
श्रीमती विजया श्रीवास्तव अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	– 19.02.2015 से आगे

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा आपके निदेशकों की रिपोर्ट निम्नलिखित दी गई है :–

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानक को अपनाया जाता है।
- कम्पनी में वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू मानक लेखों को अपनाया गया है। कम्पनी द्वारा अपनायी गयी लेखाकार नीतियों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की सत्य तथा स्पष्ट छवि एवं उस अवधि के कम्पनी के लाभ अथवा हानि को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते ।
- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए लेखा रिकार्डों का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वार्षिक लेखों को निरन्तरता आधार पर तैयार किया गया है।
- निदेशकों द्वारा लागू किये गये सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित सिस्टम तैयार किया गया है तथा इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पर आवश्यक राशि के तहत 40,20,000/– (गत वर्ष 30,00,000/– रुपये) अर्थात; वित्तीय वर्षों के गत तीन वर्षों का अनुमानित 2% अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 40,84,615/– (गत वर्ष शून्य) रूपये खर्च किये हैं।

कम्पनी ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) खाते में 1,22,86,482/– रूपये आरक्षित किये हुये हैं। सही दिशाओं की तलाश जारी है जिसके तहत इस राशि को खर्च किया जायेगा।

आंतरिक लेखा परीक्षक (Internal Auditors)

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के समवर्ती एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को 2,85,000/– रूपये यातायात किराया तथा लागू सेवा–कर सहित शुल्क राशि पर नियुक्त किया गया है। यह उनकी नियुक्ति का पहला वर्ष है।

लेखा परीक्षक (Auditors)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2014–15 वित्तीय वर्ष के लिए 4,50,000/– रूपये (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) प्रदत्त मेहनताना दिया जा रहा है जिसमें लागू सर्विस चार्ज भी शामिल है। यह उनकी नियुक्ति का द्वितीय वर्ष है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए उत्तर अनुबंध – IV में दिए गए हैं।

सी ए जी (CAG) की प्रबंधक वर्ग की रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां अनुबंध – V में दी गई हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालिय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट मेसर्स प्रवीण रस्तोगी एण्ड कंपनी द्वारा ऑडिट की गई अनुबंध – VI में संलग्न है, जोकि निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट है।

आभारोक्तियां (Acknowledgment)

कम्पनी के निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष एवं आडिट बोर्ड के सदस्य, सांविधिक लेखाकारों, आंतरिक लेखाकारों तथा कम्पनी के बैंकरों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

कम्पनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों साथ ही साथ व्यक्तिशः का आभार व्यक्त करते हैं जिनका उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों के सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

निदेशक मण्डल के लिए
और उनकी ओर से

नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2015

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबन्ध – I

वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण जिनमें कम्पनी परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर रही है

क. स्वास्थ्य संबंधी योजना, चिकित्सा एवं शैक्षणिक तथा परियोजना प्रबंधन

- एम्स (AIIMS), अंसारी नगर, नई दिल्ली हेतु एम्स (AIIMS) कैम्पस में ओ.पी.डी. ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, मातृ एवं शिशु ब्लॉक, पेड–वार्ड, सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण
- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का पुनर्विकास (फेज –I) के तहत अति–विशिष्ट ब्लॉक तथा आपात–कालीन ब्लॉक
- डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अति विशिष्ट ब्लॉक
- सरिता विहार, नई दिल्ली में (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग के तहत) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली हेतु व्यापक पुनर्विकास योजना

सफदरजंग अस्पताल का आपात–कालीन ब्लॉक

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली
- एम्स (AIIMS), रायबरेली हेतु आवासीय एवं अस्पताल का निर्माण
- 2nd कैम्पस एम्स, झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (GMC), पटियाला में नर्सिंग कॉलेज तथा राष्ट्रीय स्तर की वायरोलॉजी कार्यशाला एवं सब–स्टेशन

सफदरजंग अस्पताल का पुनर्विकास – अति–विशिष्ट ब्लॉक

- व्यापक कैंसर आन्कोलॉजिकल, उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, पटियाला
- कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल, हरियाणा
- पी.जी.आई.एम.आई.आर. (PGIMER), सोनीपत (हरियाणा) में सेटेलाइट सेंटर का निर्माण
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अमृतसर में गुरु तेग बहादुर आन्कोलॉजिकल सेंटर का निर्माण
- पी.एम.एस.एस.वाई. (P M S S Y) के तहत, अति–विशिष्ट ब्लॉक, कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C), कोलकाता हेतु ओ.पी.डी. एवं प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण

एम्स, रायबरेली

- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, भुवनेश्वर (ओडिशा) में एम्स (AIIMS) आवासीय का शेष कार्य तथा फेज – II का निर्माण
- आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेज I – 400 बिस्तरों वाला अस्पताल)
- पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पुणे हेतु वैक्सीन उत्पादन सुविधाएं
- कोचिन (केरल) में कैंसर अस्पताल का निर्माण
- राष्ट्रीय यूनानी औषधीय संस्थान (N I U M), बैंगलुरु हेतु फेज – II कार्यों के तहत [illegible] ब्लॉक, [illegible] तथा फार्मेसी भवन का निर्माण
- राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान, हैदराबाद

- डा० आर. पी. मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा हेतु हाऊसिंग एवं होस्टल का निर्माण
- निम्हिंस, बैंगलोर हेतु न्यूरो–साईंस में अति–विशिष्ट ब्लॉक का निर्माण
- मातृ एवं शिशु – बैंगलोर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन हेतु बैंगलोर मेडिकल कॉलेज के कैम्पस में मैट्रो ब्लॉक
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला तथा हिमाचल प्रदेश
- नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश) में सामान्य अस्पताल का निर्माण
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल में पी.जी. पुरुष एवं महिला होस्टल, यू.जी. महिला होस्टल, नर्सिंग होस्टल एवं इन्टर्नी होस्टल का निर्माण
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल – ओ.पी.डी. ब्लॉक का निर्माण
- आर.एम.आर.सी. (RMRC), डिब्रूगढ़ में जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला स्तर – 3 (Bio Safety Level – 3 Laboratory) की प्रयोगशाला
- एल.जी.बी.आर.आई.एम.एच. (LGBRIMH) तेजपुर का उन्नयन (175.16 करोड़ रुपये)
- नार्थ इस्टर्न इंस्टीस्टयूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड होम्योपैथी (NEIAH) संस्थान, शिलौंग

विदेश में (Abroad)

- बीर अस्पताल, काठमांडू, नेपाल हेतु 200 बिस्तरों वाला आपातकालीन एवं ट्राऊमा सेंटर
- किकोया, श्रीलंका में जिला सामान्य अस्पताल

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं (Procurement Management Service)

- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अति–विशिष्ट तथा आपातकालीन ब्लॉक हेतु चिकित्सा उपकरण
- कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल, हरियाणा हेतु चिकित्सा उपकरण
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda – AIIA), सरिता विहार हेतु उपकरणों का प्रापण
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) हेतु दवाइयां एवं औषधियां
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda – AIIA), सरिता विहार हेतु उपकरणों का प्रापण
- निग्रिह्म्स (NEIGRIHMS), शिलौंग हेतु चिकित्सा उपकरण
- विदेश मंत्रालय (MEA), बीर अस्पताल, काठमांडू हेतु चिकित्सा उपकरण
- श्रीलंका हेतु चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति
- यंगून एवं सिटवे म्यांमार हेतु चिकित्सा उपकरण

एन.आई.ए.बी. (राष्ट्रीय पशु बायोटेक्नोलॉजी), हैदराबाद

मातृ एवं शिशु ब्लॉक – एम्स, नई दिल्ली

ओ.पी.डी. ब्लॉक, एम्स, नई दिल्ली

कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल

अनुबन्ध - II

कारपोरेट शासन रिपोर्ट

कम्पनी सिद्धांत (Company Philosopy)

एक अच्छी कारपोरेट शासन नीति किसी भी कम्पनी के बेहतर परिणामों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शेयरधारकों के मूल्यों व मैनेजमैंट में पारदर्शिता, आचार नीति, जवाबदेही तथा साफ–सुथरे परिणामों को दर्शाने व उनका ध्यान रखते हैं। मैनेमेंट का यह दायित्व होता है कि वह विर्निदिष्ट मामलों में जहां तक संभव हो विस्तृत तरीके से तथ्यों को उपलब्ध करवाये।

क. अन्य कम्पनियों में बोर्ड निदेशकों की श्रेणी तथा डायरेक्टरशिप का सम्मिश्रण

दिनांक 31.03.2015 से कम्पनी के बोर्ड निदेशकों में एक पूर्ण–कालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD), दो अंश–कालिक शासकीय निदेशक तथा तीन अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित दिया गया है :–

निदेशक	पूर्ण–कालिक / अंश–कालिक	अन्य पी.एस.यू. में बोर्ड के सदस्य
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	पूर्ण–कालिक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	– शुन्य –
श्री एस. के. जैन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	– शुन्य –
श्रीमती विजया श्रीवास्तव*	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– एच एल एल लाइफकेयर लि. – एच एल एल बायोटैक लि.
श्री के. सी. सामरिया	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– शुन्य –
श्री देबीदास दत्ता	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	– पश्चिम बंगाल विद्युत वितरण कम्पनी लि. – पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी – पश्चिम बंगाल हरित ऊर्जा विकास निगम लि.
श्री अनील ए. मसंद	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	– शुन्य –
प्रो. सुशील	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	– शुन्य –

*श्रीमती विजया श्रीवास्तव को श्री गौतम गुहा के स्थान पर दिनांक 19.02.2015 से अंश–कालिक, शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. कार्यकाल (Tenure)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की आयु 60 निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके चार्ज संभालने की तिथि से और उनकी अधिवर्षिता (Superannuation) की तिथि तक 5 वर्षों की होगी, या भारत सरकार की ओर से अगले आदेशों तक, और जो भी घटनाक्रम से पहले आदेश प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नामित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक मंत्रालय के अधिकारी जो बोंण्ड पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हैं।

अंश–कालिक, अ–शासकीय निदेशक भारत सरकार की ओर से तीन वर्ष की अवधि तक नियुक्त होंगे।

ग. बोर्ड बैठकें (Board Meetings)

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के बीच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की (134वीं से 137वीं) चार बैठकें की गई, जिसमें एक बैठक प्रत्येक त्रैमासिक में दिनांक 26.06.2014, 26.08.2014, 09.12.2014 और 25.03.2015 को आयोजित की गई।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meetings And Attendance)

निदेशक	कार्यकाल के दौरान कितनी सभा बैठकें आयोजित की गई	उपस्थिति	पिछली वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	4	4	हां
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	1	1	नहीं
श्री के. सी. सामरिया	3	3	हां
श्री एस. के. जैन	4	4	नहीं
श्री गौतम गुहा	3	3	हां
श्री एस. के. राव	1	1	नहीं
श्री देबीदास दत्ता	4	3	हां
श्री अनील ए. मसंद	4	3	हां
प्रो. सुशील	4	4	हां

घ. साधारण निकाय बैठकों

वार्षिक साधारण बैठक (Annual General Meeting)

गत 3 (तीन) वार्षिक साधारण बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई हैं : –

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2013-14	19.09.2014	12:30. P.M.	सचिव कमेटी कमरा नम्बर 155ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2012-13	31.07.2013	11:00. A.M.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2011-12	26.09.2012	05:15. P.M.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

ड. निदेशकों की शेयर–होल्डींग का प्रतिरूप

कुल 2,40,01,800 इक्विटी शेयर पूंजी में से (100/– रूपये प्रति शेयर के 240018 इक्विटी शेयर) शेयरों का आधिपत्य है।

निदेशकों के नाम	एच एस सी सी के शेयरों की संख्या
श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	शून्य
श्री एस. के. राव, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्री ज्ञानेष पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक	6
श्री एस. के. जैन, निदेषक (इंजीनियरिंग)	6
श्री देबीदास दत्ता, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	शून्य
श्री अनील ए. मसंद, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	शून्य
प्रो. सुषील, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	शून्य

इसके अतिरिक्त, इन शेयरों का आधिपत्य भारत के राष्ट्रपति के पास है।

च. शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

यह कम्पनी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है तथा (जिसके षेयर पंजीकृत नहीं हैं) ए इसके षेयर महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के पूर्णतया स्वामित्व में है, इसलिए कम्पनी ने कोई षेयरधारक षिकायत निवारण समिति गठित नहीं की है।

ज. ऑडिट समिति (Audit Committee)

ऑडिट समिति (Audit Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

सीए अनील ए. मसंद, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	अध्यक्ष
श्री देबीदास दत्ता, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	सदस्य
प्रो. सुषील, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	सदस्य
सीए ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेषक	–	सदस्य
सीए रविन्द्र कुमार पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	–	समिति का सदस्य

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के दौरान ऑडिट समिति (Audit Committee) की (5वीं से 7वीं) तीन बैठक एच एस सी सी कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में दिनांक 26.06.2014, 25.08.2014 तथा 24.03.2015 को आयोजित की गई है।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई आडिट बैठकों की संख्या	उपस्थिति
सीए अनील ए. मसंद	3	3
श्री देबीदास दत्ता	3	2
प्रो. सुषील	3	3
सीए ए. के. अग्रवाल	3	3

झ. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee)

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

प्रो. सुषील, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	अध्यक्ष
सीए अनील ए. मसंद, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	सदस्य
श्री देबीदास दत्ता, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	सदस्य
सीए ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेषक	–	सदस्य
सीए रविन्द्र कुमार पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	–	समिति का सदस्य

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (Corporate Social Responsibility Committee) की एक बैठक एच एस सी सी कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में दिनांक 24.03.2015 को आयोजित की गई है।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
प्रो. सुषील	1	1
सीए अनील ए. मसंद	1	1
श्री देबीदास दत्ता	1	1
सीए ए. के. अग्रवाल	1	1

छ. पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee)

पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

श्री देबीदास दत्ता, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	अध्यक्ष
प्रो. सुषील, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	सदस्य
सीए अनील ए. मसंद, अंष–कालिक अ–षासकीय निदेषक	–	सदस्य
सीए ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेषक	–	सदस्य
सीए रविन्द्र कुमार पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	–	समिति के सदस्य

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के दौरान, पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की एक बैठक एच एस सी सी कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में दिनांक 25.08.2014 को आयोजित की गई है।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई परिश्रमिक समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री देबीदास दत्ता	1	1
सीए अनील ए. मसंद	1	1
प्रो. सुशील	1	1
सीए ए. के. अग्रवाल	1	1

ड. निदेशकों का पारिश्रमिक (Remuneration of Directors)

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियुक्त कम्पनी के कार्यवाहक निदेषकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक सहित की नियुक्ति के समय सरकार द्वारा जारी निबंधनों और षर्तों में उल्लिखित वेतनों को पहले ही सरकार द्वारा निष्चित किया गया है, उसी के अनुसार औद्योगिक वेतन मंहगाई भत्ता (आई डी ए) दिया जाता है। कम्पनी नियमों के तहत भत्ते एवं अनुलब्धियां दी जाती हैं।

कम्पनी के अंष–कालिक निदेषकों को उनके बोर्ड निदेषक खाते से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता लेकिन षासकीय कार्यकारी होने के लिए सरकार से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

अंष–कालिक अषासकीय निदेषक कम्पनी से कोई बैठक भत्ता भी नहीं लेते हैं, अप्रैल, 2014 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किये गये पारिश्रमिक अनुसार कम्पनी के अंष–कालिक अषासकीय निदेषकों को कम्पनी की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हेतु 5,000 / – रूपये बैठक फीस दी जाती रही है।

वर्ष के दौरान अ–षासकीय अंष–कालिक निदेषकों को उपस्थिति शुल्क हेतु निम्नलिखित भुगतान किया गया है :–

1.	श्री अनील ए. मसंद	45,000 /- रूपये
2.	श्री देबीदास दत्ता	40,000/- रूपये
3.	प्रो. सुशील	50,000/- रूपये

ष. प्रकटीकरण (Disclosures)

पूरी अवधि के दौरान, कम्पनी की पार्टियों के साथ लेन–देन एवं व्यापार के संदर्भ में कोई विरोधाभाष नहीं जो कम्पनी के निदेषकों तथा प्रबंधन को प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, एच एस सी सी संस्था की अन्य कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

अनुबन्ध - III

प्रबंधन परिचर्चा एवं समीक्षा की रिपोर्ट

उद्योग की संरचना एवं विकास (industry Structure & Developments)

एच एस सी सी (H S C C) की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में मार्च, 1983 में की गई थी जिसका प्रषासनिक नियत्रंण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कम्पनी की प्रदत्त षेयर पूंजी 240 लाख रूपये एवं निवल लाभ 12081 लाख रूपये है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत के किया है। सितम्बर, 1999 में एच एस सी सी को " मिनी रत्न " कम्पनी घोषित किया गया है।

एच एस सी सी (H S C C) कम्पनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेष मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सगंठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्षदायी कार्यय जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रापण कार्यों में सप्लाई एवं निगरानी, चिकित्सा उपकरों का प्रापण, स्थापना एवं कमीषनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एच एस सी सी ने परियोजनाओं के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और अभिनव समाधान अभिप्रेरित तथा विषेशज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एच एस सी सी ने प्रमुख हैल्थ–केयर परियोजनाएं जैसे; विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगषालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेषों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपषिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन, अध्ययन और प्रषिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एच एस सी सी वर्षो से हैल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्षदायी सेवाएं प्रदान वाली एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में अपने व्यापार को वृद्धि करने में लगी है।

शक्ति (Strenght) :

- अस्तित्व में आने से अब तक डेबिट मुक्त एवं लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनी
- भारत सरकार का समर्थन और सहायता
- एक ही छत के नीचे परामर्षदायी सेवाओं के विभिन्न आयाम
- बहुपार्ष्व धन एवं अतंर्राष्ट्रीय अन्य एजेंसियो के साथ व्यापक अनुभव
- मजबूत क्षमता के साथ जटिल एवं बड़ी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव
- परियोजनाओं की गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन प्रदर्षन
- योग्य एवं समर्पित तथा योग्य–विहीन कार्य–षक्ति

कमजोरी (Weakness) :

- ☐ एकमात्र कारोबार – परामर्श
- ☐ निजी कामगारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुष्किल है
- ☐ भाप संघर्षण असमर्थता
- ☐ ज्यादातर कारोबार / व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के साथ होता है
- ☐ व्यापार के समर्थन का आष्वासन राजस्व मॉडल एक बार की बजाय परियोजनाओं के लगातार राजस्व धाराओं की आवर्ती सेवाओं पर आधारित है
- ☐ विषेष विक्रेताओं / एजेंसियों की सिमित संख्या

अवसर (Opportunities) :

- ☐ देष अस्पतालों, बिस्तरों, डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या के मामले में पिछड़ रहा है
- ☐ वर्तमान अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन
- ☐ सार्क देषों में व्यापार का विस्तार
- ☐ भवन निर्माण में इंजीनियरिंग एवं रख–रखाव सेवाओं में विविधीकरण की विभिन्न अन्य सेवाएं
- ☐ बुनियादी स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में) आधारभूत ढ़ांचे के लिये मांग में वृद्धि हेतु निर्धारित किया है
- अस्पतालों के लिये अवसरों और सरकारी अस्पतालों में अस्पताल गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग हैंडहोल्डींग
- आधारभूत वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन का आधारभूत कार्य तथा प्रापण गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कौषल विकसित करना

जोखिम (Threats):

- ☐ • व्यापारिक परियोजनाओं को उत्तर–पूर्व की ओर स्थानांतरण करने / उनके पूरा होने, दीर्घ–कालीन धन की अनुपलब्धता के कारण कारोबार का लम्बे समय के लिये प्रसार ना हो पाना
- ☐ • तेजी से निजी क्षेत्र में बढ़ते परिचालन के परिदृष्य में अनुभवी कर्मियों की उदासीनता
- ☐ • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH & FW) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / उपक्रमों (PSUs) से ली जाने वाली सहायता नीति में बदलाव करके परामर्षी सेवाओं के लिये वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र से आमंत्रित समर्थन
- ☐ • निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगियों की एक बड़ी संख्या के साथ खंडित बाजार चरम मुक्त कम
- ☐ • बुनियादी ढ़ांचे में तेजी से आये उछाल के कारण बड़ी संख्या में अनुभव–प्राप्त खिलाड़ियों अर्थात कामगारों की वजह से मूलभूत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कौषल द्वारा वस्तु–विकरण (Commoditisation) बढाना
- ☐ • परियोजनाओं के नियंत्रण से परे कारणों में भूमि की अनु–उपलब्धता को रोकने का कारण बनता है
- ☐ • सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (PSUs) / फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यापार परियोजनाओं और गैर संबंधित विविधीकरण के लिये उनके द्वारा नामांकन के लिये नुकसान का कारण बनता है
- ☐ • प्रापण परियोजनाओं के लिये शुल्क की कमी और बड़े सूक्ष्म छोटे कार्य में व्यापार के प्रस्ताव में अग्रणी हानि समनुदेषनों की कमी है

दृष्टिकोण (Outlook)

एच एस सी सी (H S C C) एक बहु–आयामी अनुषासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कम्पनी है। यह कम्पनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्ष प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कम्पनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया। इसके महत्वपूर्ण ग्राहक शामिल हैं :–

- ☐ • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- ☐ • विदेष मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- ☐ • राज्य सरकार तथा उनके अधिनस्थ अस्पताल / संस्थान
- ☐ • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSUs) / अन्य संस्थान

कम्पनी को विष्व स्तर के परामर्षी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवष्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

जोखिम एवं चिंताएं (Risks & Concerns)

कम्पनी के लिये प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं का क्षेत्र प्रापण समनुदेषन कार्य में चिंतित और वर्तमान परिदृष्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम / परामर्ष शुल्क संबंधित मंत्रालय से कमी है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल (IT Related Initiatives)

- ☐ • इंटरनेट कनेक्षन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- • कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (LAN – Local Area Network) के माध्यम से जुड़े हुये हैं।
- • ई–निविदा गतिविधि

वित्तीय प्रदर्शन पर परिचालन प्रदर्शन हेतु सम्मान के साथ चर्चा

कम्पनी की कुल आमदनी अन्य आय 6384.92 लाख रूपये सहित 2157.21 लाख रूपये पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में क्रमषः 6045.14 लाख रूपये तथा 2125.69 लाख रूपये थी। वर्ष के दौरान कम्पनी का सकल मार्जिन (Gross Margin) तथा कर पष्चात लाभ (Profit Before Tax) 3863.98 लाख रूपये तथा 3794.46 लाख रूपये गत वर्ष की तुलना में क्रमषः 3758.25 लाख रूपये तथा 3713.61 लाख रूपये था।

गत वर्ष की तुलना में प्रचालन (ऑपरेषन) की लागत 10% की वृद्धि हुई है। खर्च में वृद्धि संदिग्ध ऋण के लिये वृद्धि की कर्मचारी लागत और प्रावधान की वजह से है।

खण्ड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

लेखा मानक (Accounting Standard) – AS – 17 के अनुसार, परामर्ष ही एक रिर्पोटेबल व्यापारी खण्ड है। कम्पनी ने न केवल भारत में अपितु बाहर भौगोलिक परिदृश्य में भी अपने व्यापारिक कार्यकलाप कार्यान्वित किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता (Internal Control System And Their Adequacy)

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आतंरिक नियंत्रण की कुषल प्रणाली व्याप्त है। कार्यात्मकता की क्षमता, कानून और नियमों के साथ निर्धारित अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाओं का परिपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में लेखा–परीक्षा कार्य पर बल, पारदर्षिता स्वतंत्रता सुनिष्चित करने के लिये, कम्पनी आतंरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउटेंट्स की फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये प्रबंधन / मैंनेजमेंट (Management) को पेष की जाती है।

मानव संसाधन विकास (HRM)

एच एस सी सी एक ज्ञान आधारित कम्पनी है, जिसकी असली ताकत उसकी जनषक्ति में निहित है। किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होती है। कंपनी में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 153 कर्मचारी नियमित (Regular) वेतनमान थे तथा जिनमें से 60 कर्मचारी स्थाई तथा निष्चित–अवधि (Fixed Tenure) के हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेष की आवष्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रषिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया तथा कम्पनी की कार्य–प्रगति के लिये कम्पनी में विभिन्न प्रषिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये हैं, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिषा में उनकी दक्षता में और बढोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनकी फैमली के लिये विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

आचार संहिता (Code of Conduct)

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ट प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ट प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग में तिमाही रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

लोक उद्यम विभाग (D P E) द्वारा निर्धारित प्रारूपानुसार तिमाही रिपोर्टों को निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्षी सिद्धातों के तहत, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को सूचित करते हुये इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जमा कर दिया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थिरता

लोक उद्यम विभाग (DPE) की दिषा–निर्देषों के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गठित गंगा की सफाई एवं उसके उत्थान के लिये स्वच्छ भारत कोष के तहत " गंगा सफाई कोष " में 40.00 लाख रूपये (चालीस लाख रूपये) का अंषदान किया है।

कम्पनी ने रक्तदान कार्यकलापों में 20,000 /– रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) का भी खर्च किये हैं।

अनुबन्ध - IV

(निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

राय (Opinion)

(i) टिप्पणी संख्या – 20 (I) (एच) : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C R I, झेंनसप) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राषि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय अथवा एवं इनसे संबंधित विषयों पर वर्ष के दौरान इसका अग्रेशित विकास किया गया तथा देयता राषि को अभीनिष्चत नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (I) (एच), जोकि स्वत : स्पष्ट है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20 (I) (आई) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये करने के बारे में, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं से जमा किये जाने से बाहर हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित निपटारों को देखते हुये लेखा–खातों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (I) (आई), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20 (I) (जे) : ग्राहक के कायिक खातों (Corpus Accounts) को क्रेडिट हेतु विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, वर्ष के दौरान इसमें ग्राहक की निधि (कायिक खाते (Corpus Account) से 1098.20 लाख रूपये (गत वर्ष 848.62 लाख रूपये) की राषि पर ब्याज राषि से कम्पनी की आय हुई है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (I) (जे), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iv) क) टिप्पणी संख्या – 20 (III) : व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देनदारियां, ऋण और अग्रिम, जमा और मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य शेष राषि की सुलह और पुष्टि के अधीन है।

ख) कम्पनी द्वारा देनदारों कों अधिकांष अनुरोध पुष्टि के लिये भेजे गये किन्तु उन पर कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिये इस पर किसी भी प्रकार का मतभेद या ये अ–समायोजित बनी हुई हैं।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (III), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(v) टिप्पणी संख्या – 20 (5) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया बिना भुगतान के / अ–समायोजित राषि के संदर्भ में, 939.55 लाख रूपये (गत वर्ष 1771.76 लाख रूपये) ग्राहकों के जमा खातों में पड़े हैं।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (5), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(ख) (i) अभी 99 परियोजनाएं मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा वित्तीय परियोजनाएं चल रही है। इन्हें वित्तीय सम्पत्तियों और देनदारियों के रुप में कम्पनी की पुस्तक में शामिल किया गया है। और " मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से " अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रखे गये बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार पर एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है। तथा वर्ष की समाप्ति तक सम्बन्धित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये जमा आकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

प्रत्युत्तर : अनुपालनों हेतु टिप्पणियां

(ii) उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से अलग से कोई वित्तीय राशि नही रखी गई है, अपितु कम्पनी अपने पुराने ग्राहकों को अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रही है। कम्पनी 4164.71 लाख रुपये " ग्राहक से जमा " और 397.95 लाख रुपये तक और " अल्पावधि ऋण और अग्रिम " 1736.10 लाख रुपये जमा राशि में " फुटकर लेनदारों " से 5870.85 लाख रुपये की " अन्य मौजूदा देनेदारियों " में शामिल रुपये " ग्राहकों को अग्रिम ", 1494.33 लाख रुपये और " फुटकर लेनदारों के लिए 44.12 लाख रुपये " में शामिल है। इन ग्राहकों के खातों को अलग से कोई धन, या इस तरह के धन पर ब्याज या आय के विवरण के अभाव में किसी अतिरिक्त है, जो कम्पनी के आय (राशि निर्धारित नहीं) के रुप में ली जाती है, तो 1098.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 848.62 लाख रुपये) और उपरोक्त योग्य राय पैरा (क) (iii) के आधार पर टिप्पणी संख्या 20 (1) (जे) के रुप में दर्ज की गई है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (I) (जे), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

क. अनुलग्नक 1 का iv

संप्रेक्षण (Observation)

– ग्राहकों की ओर से कम्पनी की संबंधित परियोजनाओं के ठेकेदारों द्वारा पूरे किये गये कार्यों के लिये आर. ए. (R.A.) बिलों के जमा करने में हुई देरी के लिये मान्य है। इन परिणामों के देरी होने का कारण आय के लेखांकन के साथ–साथ सेवा–कर अधिनियम के अनुसार सेवा–कर देयताओं का होना है।

प्रत्युत्तर : परियोजनाओं से संबंधित ठेकेदारों को उनके अनुबंध की शर्तों के अनुसार उन्हें आर. ए. (R. A.) बिल और अन्तिम बिल जमा करने और आगे देरी से बचने के लिये समय–समय पर निर्देश दिए गये हैं।

संप्रेक्षण (Observation)

– व्यापार जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा प्रक्रियाओं को कम्पनी की नीतियों के साथ जोखिम, परिचालन नियंत्रण और अनुपालन के आत्म मूल्यांकन के लिये सेट–अप नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु दर्ज किया गया

संप्रेक्षण (Observation)

– कम्पनी आवधिक जमा (फिक्स्ड डिपॅाजिट) और ब्याज जमा खातों की परिपक्वता की तिथि तय विश्लेषण करने में हालांकि एक वास्तविक समय प्रणाली के लेखांकन की प्रणाली हो रही है, बैंकों द्वारा जमा ब्याज के सत्यापन और मजबूत करने की जरूरत है।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु दर्ज किया गया

अनुबन्ध - V

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-office Member, Audit Board-IV, New Delhi

संख्या : 373-PDCA/HS/MAB-IV/HSCC/A/cs/15-16/
दिनांक : 28.10.2015

सेवाएं,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नोएडा (उत्तर प्रदेश) – 201301

विषय :– एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इसके साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर की गई शून्य टिप्पणियाँ संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की पावती देने का कष्ट करें।

आपका शुभचिंतक,

संलग्नक :– यथोपरि

हस्ता.
(डा. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

आठवीं व नवीं तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष / Tel. : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416
ई–मेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2015 को **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** के समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेंमवर्क अनुसार बनाये गयें हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों द्वारा धारा 143 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से निर्मित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार हैं तथा धारा 143(10) के तहत इन पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुमानित आडिटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **दिनांक 27.08.2015** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत, **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** की दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर की गई है तथा जो मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कम्पनी के कर्मियों और लेखा–अभिलेखों में से कुछ एक चयनात्मक परीक्षा की जांच के लिए सीमित हैं। मेरी लेखा–परीक्षा (ऑडिट) के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नजर नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जाये या जिसे सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाये।

कृते, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता.
(डा. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

स्थान :– नई दिल्ली
दिनांक :– 26.10.2015

अनुबन्ध - VI

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
सचिवालीय ऑडिट रिपोर्ट

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
सी आई एन : यू 74140 डी एल 1983 जी ओ आई 015459
प्राधिकृत पूंजी : 5,00,00,000/– रुपये
प्रदत्त पूंजी : 2,40,01,800/– रुपये

सेवामें,

सदस्यगण,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों एवं मेमोरण्डम में यथालिखित उपबंधों और कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की यथापेक्षानुसार मैसर्स एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के रजिस्टरों, अभिलेखों, बही एवं कागजातों की जांच कर ली है। हमारे विचार में और पूर्ण सूचना तथा की गयी जांच और कम्पनी व इसके अधिकारियों द्वारा हमें सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार हम उक्त वित्त वर्ष के मामले में निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :–

1. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने उपबंधों व उनके तहत बने नियमों के अनुसार निम्नलिखित रजिस्टरों को बनाया है व उनका रख–रखाव किया है तथा उनमें सभी प्रविष्टियां विधिवत की गयी हैं :–

क्रम संख्या	कम्पनी द्वारा रखे गए रजिस्टर	धारा के तहत	टिप्पणियाँ
1.	सदस्यों का रजिस्टर	88	अद्यतन
2.	रजिस्टर एवं रिटर्न	94	अद्यतन
3.	बैठकों का कार्यवृत्त	118	अद्यतन
4.	लेखा बही	128	अद्यतन
5.	अंतरण रजिस्टर	56	अद्यतन
6.	शेयर आवेदन राशि एवं शेयर आबंटन रजिस्टर	-	अद्यतन
7.	ठेकों एवं निकायों और पार्टी इत्यादि से संबंधित ठेकों का विवरणर रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रूची है	189	अद्यतन
8.	निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर	170	अद्यतन
9.	निदेशकों का उपस्थिति रजिस्टर	-	अद्यतन
10.	स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर	-	अद्यतन
11.	लाभांश रजिस्टर	-	

2. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों में निर्धारित प्राधिकरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित फार्म व रिटर्न जमा कराए हैं :–

वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जमा किये गये फार्म / रिटर्न

क्रम संख्या	फार्म संख्या	प्राधिकरण	धारा जिसके तहत जमा कराया गया	टिप्पणियां	
1.	फार्म 66	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम 1956 का 383ए	वार्षिक साधारण बैठक जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 19.09.2014 : 14.10.2014 : क्यू35782374
2.	फार्म 20बी	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 1956 का 159ए	वार्षिक साधारण बैठक जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 19.09.2014 : 31.10.2014 : क्यू 43357094
3.	फार्म 23 ए.सी. तथा 23 ए.सी.ए.	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम 1956 का 220	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 31.03.2014 : 16.10.2014 : क्यू 36971810

वर्ष 2014–15 के दौरान जमा किये गये फार्म डी.आई.आर. 12 का विवरण

1.	फार्म डी.आई.आर.–12*	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 2013 का 170	परिर्वतन की तिथि जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 05.08.2014 : 03.09.2014 : सी 18836668
2.	फार्म डी.आई.आर.–12**	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 2013 का 170	परिर्वतन की तिथि जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 19.02.2015 : :

- फार्म डी.आई.आर.12* द्वारा, दिनांक 05.08.2014 से श्री के. सी. सामरिया की निदेषक के रूप में नियुक्ति तथा श्री एस. के. राव की निदेषक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति
- फार्म डी.आई.आर.12** द्वारा, दिनांक 19.02.2015 से श्रीमती विजया श्रीवास्तव की निदेषक के रूप में नियुक्ति तथा दिनांक 05.08.2015 को श्री गौतम गुहा का निदेषक के कार्यकाल की समाप्ति

3. भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2,40,01,800/– रुपये है और हमें दी गयी सूचना व विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2015 से उसके सदस्यों की संख्या दस है। शेयर धारकों का विवरण नीचे दिया गया है : –

क्र.सं.	शेयर धारकों का विवरण	शेयरों की क्रमांक संख्या	शेयरों की क्रमांक संख्या	शेयर प्रमाण पत्र सं.	लेजर फोलियो
1.	भारत के राष्ट्रपति	5994	1-5994	000003	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	10000	6001-16000	000010	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	24000	16001-40000	000011	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	17982	40004-57985	000015	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	30000	57986-87985	000016	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	72000	87986-159985	000017	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	79988	160013-240000	000027	2/I
2.	श्री एस. के. जैन (निदेशक–इंजीनियरिंग)	1	40002	000013	24/III
	श्री एस. के. जैन (निदेशक–इंजीनियरिंग)	3	159986-159988	000018	24/III
	श्री एस. के. जैन (निदेशक–इंजीनियरिंग)	2	240017-240018	000036	24/III
3.	श्री अंशु प्रकाश (जे.एस.)	1	5995	000004	22/III
	श्री अंशु प्रकाश (जे.एस.)	3	159989-159991	00019	22/III
	श्री अंशु प्रकाश (जे.एस.)	2	240001-240002	000028	22/III
4.	डा. (प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस.	1	5996	000007	18/III
	डा. (प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस.	3	159992-159994	000020	18/III
	डा. (प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस.	2	240003-240004	000029	18/III
5.	श्री अरूण पाण्डा (जे.एस.)	1	5997	000006	15/III
	श्री अरूण पाण्डा (जे.एस.)	3	159995-159997	000021	15/III
	श्री अरूण पाण्डा (जे.एस.)	2	240005-240006	000030	15/III
6.	श्री गौतम गुहा, अ.स.एवं वि.स. (स्वा.एवं पं.क.मं.)	1	5998	000009	13/III
	श्री गौतम गुहा, अ.स.एवं वि.स. (स्वा.एवं पं.क.मं.)	3	159998-160000	000022	13/III
	श्री गौतम गुहा, अ.स.एवं वि.स. (स्वा.एवं पं.क.मं.)	2	240007-240008	000031	13/III

7.	श्री सी. के. मिश्रा (ए.एस.)	1	5999	000005	23/III
	श्री सी. के. मिश्रा (ए.एस.)	3	160001-160003	000023	23/III
	श्री सी. के. मिश्रा (ए.एस.)	2	240009-240010	000032	23/III
8.	डा. राकेश कुमार (जे.एस.)	1	6000	000008	19/III
	डा. राकेश कुमार (जे.एस.)	3	160004-160006	000024	19/III
	डा. राकेश कुमार (जे.एस.)	2	240011-240012	000033	19/III
9.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ.एवं प्र.नि.–एचएससीसी)	1	40001	000012	21/III
	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ.एवं प्र.नि.–एचएससीसी)	3	160007-160009	000025	21/III
	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ.एवं प्र.नि.–एचएससीसी)	2	240013-240014	000034	21/III
10.	श्री के. सी. सामरिया, (जे.एस.)	1	40003	000014	20/III
	श्री के. सी. सामरिया, (जे.एस.)	3	160010-160012	000026	20/III
	श्री के. सी. सामरिया, (जे.एस.)	2	240015-240016	000035	20/III

4. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार निदेशक मण्डल की विधिवत चार बैठकें आयोजित की गयी, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। उक्त बैठकों के संबंध में विधिवत सूचना दी गयी थी और कार्यवाहियों को उचित रूप में रिकार्ड व हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखे गए रजिस्टर में विधिवत रिकार्ड किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठकों की तारीख

बैठक संख्या	बैठक संख्या होने की तारीख	टिप्पणियाँ
134वीं	26.06.2014	एच एस सी सी कॉरपोरेट ऑफिस, नौएडा
135वीं	26.08.2014	एच एस सी सी कॉरपोरेट ऑफिस, नौएडा
136वीं	09.12.2014	कमिटी कमरा नम्बर 249–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
137वीं	25.03.2015	छोटा कमिटी कमरा नम्बर 249 ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

5. कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान इसके सदस्यों का रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था।

6. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के सदस्यों को उचित सूचना देकर 31.03.2014 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम सभा बैठक 19.09.2014 को आयोजित की गयी और इस बैठक में पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखी गयी पुस्तक में विधिवत रिकार्ड किया गया।

7. भारत सरकार का एक उपक्रम होने के नाते कम्पनी के निदेशकों को दिए गए सभी ऋण एवं पेशगियां कम्पनी द्वारा उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार हैं।

8. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान किसी अंष प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी नहीं की है।

9. हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार : -
(i) वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित मंत्रालय के आदेषानुसार दो शेयर आबंटित / प्रसारण किया गया था।
(ii) इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने लाभांश की निम्नलिखित राशि की घोषणा की एवं भुगतान किया :–

क्र. सं.	विवरण	घोषित लाभांश की राशि	लाभांश घोषित करने की तिथि	लाभांश भुगतान करने की तिथि
1.	अन्तिम लाभांश	4,92,03,690/-	19.09.2014 (वार्षिक सामान्य बैठक)	01.10.2014

इस कम्पनी ने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते लाभांश भुगतान हेतु बैंक में अलग से 27.09.2001 से खाता रखा है और कम्पनी के किसी सदस्य को लाभांश वारंट भेजने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि लाभांश की राशि भारत सरकार के खाते में सीधे ही जमा की गयी।

(iii) लाभांश, वापसी हेतु देय आवेदन राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर्स तथा उन पर देय ब्याज सहित भुगतान न की गयी ऐसी कोई राशि प्रकाश में नहीं आयी जो सात वर्ष की अवधि से दावा न किए जाने अथवा भुगतान न किए जाने के कारण अभी तक शेष हो।

(iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 134 का यथापेक्षानुसार पालन किया है।

(v) वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मूल–अर्जित प्रति षेयर राषि 1022.44 रूपये (गत वर्ष 999.09 रूपये)

10. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन हुआ है और निदेशकों की नियुक्ति विधिवत की गयी है। कम्पनी में इस कार्यावधि में कोई भी निदेषक सेवानिवृत नहीं हुआ है।

वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक मंडल का विवरण

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डी.आई.एन.	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि	नियुक्ति हेतु प्राधिकारी	धारा के तहत
1.	श्री ज्ञानेष पाण्डेय सी.एम.डी. (CMD)	03555957	26.07.2012	-	भारत सरकार	धारा 45
2.	श्री सिम्हमभटला कामेष्वर राव	06426779	21.09.2012	05.08.2014	भारत सरकार	धारा 45
3.	श्री देबीदास दत्ता	00229856	02.01.2013	-	भारत सरकार	धारा 45
4.	श्री अनील अशोक मसंद	03520037	02.01.2013	-	भारत सरकार	धारा 45
5.	श्री सुशील	05300091	02.01.2013	-	भारत सरकार	धारा 45
6.	श्री संजय कुमार जैन	06573103	10.04.2013	-	भारत सरकार	धारा 45
7.	श्री गौतम गुहा	068944434	12.03.2014	19.02.2015	भारत सरकार	धारा 45
8.	श्रीमती विजया श्रीवास्तव	07130203	19.02.2015	-	भारत सरकार	धारा 45
9.	श्री के. सी. सामरिया	01812933	05.08.2014	-	भारत सरकार	धारा 45

- दिनांक 05.08.2014 से श्री के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अंष–कालिक, अ–शासकीय निदेषक नियुक्त
- दिनांक 19.02.2015 से श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अंष–कालिक, अ–शासकीय निदेषक नियुक्त

11. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंध निदेशक / पूर्ण–कालिक निदेषक / प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की है।

12. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सोल बिक्री एजेंट की नियुक्ति नहीं की है।

13. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत निर्धारित केन्द्र सरकार अथवा ऐसे ही अन्य प्राधिकारियों से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

14. निदेषकों ने रूचि प्रकट की है।

15. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी निदेषकों को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है तथा ब्याज के सामान्य प्रकटीकरण को कार्यवृत में दर्ज किया गया है।

16. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी शेयर की वापसी खरीद नहीं की है।

17. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के पास वरीयमान शेयर अथवा डिबेन्चर्स नहीं हैं।

18. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को शेयर के अंतरण का पंजीकरण लम्बित होने के कारण लाभांश, राइट शेयर तथा बोनस शेयर संबंधी कोई भी लेन–देन स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं थी।

19. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान धारा 73 के तहत आने वाली किसी भी जमा अथवा अप्रत्याभूत ऋणों को आमंत्रित / स्वीकार नहीं किया है।

20. कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी उधार नहीं लिया है।

21. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण अथवा पेशगी नहीं दी है और न ही किसी अन्य कारपोरेट संकाय को गारण्टी अथवा प्रतिभूति प्रदान की है। फलस्वरूप इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गयी है।

22. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थिति ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन नहीं किया है।

23. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन नहीं किया है।

24. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

25. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्था के अंतर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत अपराध होने के प्रति कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गयी और न ही कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ और न ही कम्पनी पर कोई आर्थिक दण्ड या जुर्माना अथवा अन्य कोई दण्ड लगाया गया।

28. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को वित्त वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से कोई राशि अथवा प्रत्याभूति प्राप्त नहीं हुई है।

29. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान भविष्य निधि के प्रति अंशदान की कटौती की है और इसे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के अंषदान को कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 418 के तहत प्राधिकरण में जमा कराया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2015

कृते, प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी

प्रवीन रस्तोगी
सी. पी. संख्या : 2883
सदस्यता संख्या : 4764

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यो के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र भी है, जिसमें समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ एवं हानि लेखों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांष दिया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष तैयार करने के लिये कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 134(5) के तहत, आम–तौर पर भारत में मान्य लेखा विवरणों एवं लेखांकन मानकों के तहत तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं जो कम्पनी की साफ–सुथरी वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय उपलब्धियाँ तथा नकदी प्रवाह विवरणों को दर्षाते हैं, इसनें लेखा मानकों के तहत विनिर्दिष्ट धारा 133 के अधिनियम, कम्पनी (लेखा) नियमों, 2014 के अधीन पठनीय नियम 7 भी शामिल है। यह जिम्मेदारी भी कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और उसे रोकने, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख–रखाव शामिल य चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन य निर्णय एवं उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाकर उसका निर्वाहन कर रही है य तथा डिजाइन, कार्यान्चयन और सामग्री गलत होने से मुक्त एक सच्वी और निष्पक्ष दृष्य देने के लिये तैयार कर रही है, वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिये प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिष्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे कि इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, रख–रखाव, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है या नहीं।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आवष्यक अधिनियम को ध्यान में रखा है जो लेखा और लेखा–परीक्षा मानकों तथा इन मामलों के प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गये नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं।

हमने इस ऑडिट प्रक्रिया को ऑडिट प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट धारा 143(10) अधिनियम के मानको के तहत किया है। ऑडिट के लिये हमने उन मानको को अपनाया है जिनकी योजना एवं नैतिकता के आधार पर जरूरत होती है एवं जिसमें उचित आष्वासन प्राप्त करने के लिये लेखा परीक्षा प्रदर्षन के लिये चाहे वो वित्तीय विवरण में सामग्री के गलत बयान से संबंधित हों, लेखा परीक्षा के लिये आवष्यकता होती है।

इस ऑडिट को उपलब्ध किये गये राषियों से संबंधी तथ्यों के तहत तैयार किया गया जिनका प्रकटन एवं उल्लेख वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है। यह चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जो माल के वित्तीय विवरण के गलत ब्यान के जोखिम का मूल्यांकन सहित, जोकि त्रुटि की धोखाधड़ी की वजह से है या नहीं है। उन जोखिम आकलन करने में, ये लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त हैं जो लेखा–परीक्षा / ऑडिट प्रकिया को डिजाइन करने के क्रम में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की तैयारी के लिये प्रासंगिक और वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के आवष्यक समझी जाती हैं। इस लेखा–परीक्षा / ऑडिट में लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के अलावा इसमें कम्पनी के निदेषकों द्वारा किए गए अनुमान भी शामिल हैं, साथ ही साथ जिन्हें वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हमें विष्वास है कि लेखा–परीक्षा से संबंधित उपलब्ध कराये गये साक्ष्य पर आधारित ऑडिट और वित्तीय विवरणों में इस्तेमाल हमारी योग्य राय सही है एवं उसी पर आधारित है।

योग्य राय के आधार पर (Basis for Qualified Opinion)

निम्नलिखित लेखा अनुसूची 20 की ओर ध्यानाकृर्षित किया जाता है जो वित्तीय विवरण " लेखा टिप्पणियों " की भाग हैं :–

(क) (i) टिप्पणी संख्या – 20(1)(एच) : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C RI, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राषि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय से संबंधित पर वर्ष के दौरान, यदि इसका अभी तक अग्रेशित विकास नहीं किया गया हो तो, देयता राषि को लेखा–पुस्तकों में इसे अभीनिष्चत नहीं किया गया है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20 (1) (आई) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये जमा करने के बारे में, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं से जमा किये जाने से बाहर हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लम्बित निपटारों को देखते हुये खातों के लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20 (1) (जे) : ग्राहक के कायिक खातों (Corpus Accounts) को क्रेडिट हेतु विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, वर्ष के दौरान इसमें ग्राहक की निधि (कायिक खाते / Corpus Account) से 1098.20 लाख रूपये (गत वर्ष 848.62 लाख रूपये) की राषि पर ब्याज राषि से कम्पनी की आय हुई है।

(iv) (क) टिप्पणी संख्या – 20 (3) : व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देनदारियां, ऋण और अग्रिम, जमा और मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य शेष राषि की शेष सुलह और पुष्टि के अधीन है।

(ख) कम्पनी द्वारा देनदार के रूप में किसी भी अ–समायोजित राषि की पुष्टि के लिये अनुरोध नहीं दिया गया है यदि उस पर किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो।

(v) टिप्पणी संख्या – 20 (5) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया / अ–समायोजित राषि के संदर्भ में, 939.55 लाख रूपये (गत वर्ष 1771.76 लाख रूपये) ग्राहकों के जमा खातों में पड़े हैं।

उपरोक्त योग्यता के प्रभाव में, अनिष्चितताओं को देखते हुये, लाभ और सम्पत्ति और कम्पनी की देनदारियां वर्तमान में गिनने योग्य (Quantifiable) नहीं हैं।

(ख) (i) अभी 99 परियोजनाएं मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा वित्तीय परियोजनाएं चल रही हैं।
इन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया गया है और " मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से " अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रखे गए बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है तथा वर्ष की समाप्ति तक संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए जमा आंकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से अलग से कोई वित्तीय राषि नहीं रखी गई है, अपितु कम्पनी अपने पुराने ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान भी कर रही है। कम्पनी द्वारा 5870.85 लाख रूपये " ग्राहक से जमा " और 4164.71 लाख रूपये तक और " अल्पावधि ऋण और अग्रिम " 1736.10 लाख रूपये जमा राषि में " फुटकर लेनदारों " से 397.95 लाख रूपये की " अन्य मौजूदा देनदारियों " में शामिल रूपये " ग्राहकों को अग्रिम ", 1494.33 लाख रूपये और " फुटकर लेनदारों के लिए 44.12 लाख रूपये " में शामिल हैं। इन ग्राहकों के खातों अलग से कोई धन, या इस तरह के धन पर ब्याज या आय के विवरण के अभाव में किसी के अतिरिक्त है, जो कम्पनी की आय (राषि निर्धारित नहीं) के रूप में ली जाती है, तो 1098.20 लाख रूपये (पिछले वर्ष 848.62 लाख रूपये) और उपरोक्त योग्य राय पैरा (क)(iii) के आधार पर टिप्पणी संख्या 20(1)(जे) के रूप में दर्ज की गई है।

कमियों के प्रभाव को बैंक खातों में मौजूदा किसी भी, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के अभाव में स्थायी जमा, अर्जित ब्याज और मंत्रालय में स्रोत पर कर कटौती / ग्राहक खातों और कम्पनी की वित्तीय अनुबंध "1" पैरा (iv) (सी) इस रिपोर्ट का पता नहीं लगा है।

योग्य राय (Qualified Opinion)

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार सबसे अच्छा करने के लिए एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद में वर्णित इस मामले के प्रभाव के अलावा, 31 मार्च, 2015 तक जिसका प्रभाव लाभ पर होगा एवं वर्ष के लिये यह सम्पत्ति / देनदारियों सहित मायने रखती है, इसके साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से कार्य करने एवं जानकारी देने के लिए आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्वांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार के तहत हमारी राय और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त स्थिति के अनुसार एवं वर्ष तक समाप्त उसका लाभ सत्य एवं स्पष्ट है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
(Report on other Legal and Regulatory Requirements)

1. कम्पनी आदेष (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेष, 2015 (" आदेष ") के तहत धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, इस दिषा में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा यथा संषोधित, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 व 4 में लागू हद तक, उल्लिखित मामलों पर एक विवरण अनुबन्ध "1" के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जरूरी है, हम रिपोर्ट देते हैं कि : –

क) हमने वह सभी सूचना एवं विवरण प्राप्त किए जो हमारी ऑडिट की मांग, पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के लिए लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे, पूर्ण और विधिवत मेल–मिलाप सावधि जमा राषि के विवरण और बैंक खातों को छोड़कर योग्य राय अनुच्छेद के लिये आधार पैरा (बी)(1) में विनिर्दिष्ट के रूप में मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से बनाए रखा है।

ख) हमारे विचार से जहां तक खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं।

ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ–हानि खाते लेखा बहियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

घ) योग्य राय अनुच्छेद के लिए आधार पर वर्णित इस मामले के प्रभाव के अलावा, जिसका प्रभाव लाभ एवं हानि विवरणों पर होगा एवं वर्ष के लिये यह सम्पत्ति / देनदारियों सहित मायने रखती है, हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरणों को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन अनुभाग – 133 पठनीय अधिनियम के तहत तैयार किया गया है।

च) भारत सरकार की एक कम्पनी होने के नाते, वित्त मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा 2 दिनांक 05/06/2015 अधिसूचना संख्या 372 के तहत सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होती।

छ) अन्य विषय के संबंध में हमारी राय में कम्पनियों के नियम 11 (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में है और हमारी जानकारी में सबसे अच्छा है हमारे लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार करने के लिए भी :

i. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों में आई अपनी स्थिति पर 31 मार्च, 2015 से ही लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 20 देखें)

ii. दीर्घ–कालीन अनुबंध सहित कम्पनी का किसी भी मामले में अनुबंध लम्बित नहीं है जिसका प्रकटीकरण किया जाये।

iii. कम्पनी द्वारा निवेषक षिक्षा और संरक्षण कोष को हस्तांतरित करने के लिये कोई मात्रा नहीं है।

3. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143 (5) के अनुरूप, भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये उप–दिषा के तहत हम अपने उत्तर अनुबंध "2" में दिये गये विवरण के तहत दे रहे हैं।

कृते एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 00745 सी

(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 073124

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.08.2015

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "1"

(एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के " स्वतंत्र लेखा परीक्षकों " द्वारा सम–संख्यक तिथि को तैयार की गई रिपोर्ट के अनुबंध पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट अन्य कानूनी और विनियामक आवष्यकता पर रिपोर्ट)

(i) (ख) कम्पनी ने मात्रा संबंधी विवरणों एवं अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित अभिलेखों का उचित रख–रखाव किया है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक एचं प्रत्यक्ष रूप में, जोकि हमारी राय में उचित है, यह कम्पनी के आकार और स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हैं। कम्पनी के चार्टर्ड एकाउंटेंड की एक फर्म द्वारा किए गए वर्ष 2014–15 के लिए तय की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा कोई सामग्री विसंगतियों के तहत सत्यापन हेतु नहीं पाई गई है।

(ग) हमारी राय में एवं जैसा हमें सूचित एवं स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी स्थायी परिसम्पत्ति के भौतिक भाग का निपटान नहीं किया है।

(ii) क्योंकि कम्पनी द्वारा कोई माल–सूची नहीं बनायी जाती है, इसलिए यह पैरा इन पर लागू नहीं होते।

(iii) हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर, कम्पनी ने कोई ऋण लिया, ना ही अन्य कम्पनियों को कोई ऋण दिया / कम्पनी अधिनियम, 2013, अन्य पैरा की धारा 189 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कम्पनी संगठन से / अथवा अन्य पार्टियों तथा / अथवा कम्पनी से किसी प्रकार का आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है, इसलिये इस पैरा के आदेष लागू नहीं होते।

(iv) हमारे विचार में और सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, कम्पनी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निम्नलिखित प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है :

(क) आमतौर पर यह देरी ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के लिये ठेकेदारों द्वारा आर.ए. (R.A.) एवं अंतिम बिलों के देरी से दिये जाने में देरी कारण हुई है। यह सेवा–कर अधिनियम के अनुसार आय के लेखांकन में देरी के साथ ही सेवा कर देनदारी में यह परिणाम है।

(ख) कारोबार जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा प्रक्रियाओं हेतु कम्पनी की नीतियों के साथ जोखिम, परिचालन नियंत्रण और अनुपालन के आत्म–मूल्यांकन के लिए स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) कम्पनी में स्थायी जमा राषि और ब्याज की निष्चित विष्लेषण जमा खातों की एक वास्तविक समय प्रणाली, परिपक्वता की तारीख के लेखांकन की प्रणाली हो रही है, बैंकों में जमा राषि पर मिलने वाले ब्याज को सत्यापन और उसे मजबूत करने की आवष्यकता है।

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय परामर्षदायी सेवाएं प्रदान करना है, अतः खरीदी गई वस्तुओं की बिक्री और उनकी इन्वेंटरी करने का प्रष्न ही नहीं उठता।

(v) कम्पनी अधिनियम, नियम के साथ 2013 पढ़ने के तहत बनाए गये कम्पनियों की धारा 76 के खण्ड 73 के अर्थ में वर्ष के दौरान कोई भी राषि जमा नहीं की है, इसलिये कम्पनियों के (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेष, 2015 के प्रावधान, कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(vi) केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों का रख–रखाव निर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरणों के अनुसार, कम्पनी के रिकार्ड का हमारे द्वारा किये गये सत्यापन के तहत, सामान्यतया कम्पनी भविष्य–निधि, निवेषक षिक्षा तथा संरक्षण निधि तथा उपकर, कर्मचारी राज्य बीमा, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, तथा सीमा शुल्क निधि देयताओं को नियमित रूप से जमा करती है तथा कम्पनी पर आयकर, सीमा शुल्क तथा सांवधिक शुल्क के रूप में कोई भी ऐसी विवादित राशि बकाया नहीं है, जो 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक अवधि तक ना कोई बकाया और ना कोई देय शेष है, ठेकेदारों से श्रम छोड़कर 120.02 लाख रूपये उपकर राषि रोकी हुई है जो उसी तारीख से छः माह के भीतर भुगतान नहीं की गई है जोकि ठेकेदारों के दायित्व में है, उस पर रोक लगाई गई थी।

(ख) कम्पनी के रिकार्ड और हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, कम्पनी पर किसी भी प्रकार का बिक्री–कर या संपत्ति कर या उत्पाद शुल्क या मूल्य–वर्धित कर या उपकर या सीमा–षुल्क की राषि बकाया नहीं है। हालांकि विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वो आयकर इस प्रकार है :–

लम्बित पड़े कानून का नाम	लम्बित पड़ी कानून की प्रकृति	राशि लाख रूपये में	अवधि जिससे संबंधित है	जहां से विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम	आयकर	388.86 लाख	वित्तीय वर्ष 2005–06	आयकर एपिलेट ट्रिब्यूनल
आयकर अधिनियम	आयकर	6.29 लाख	वित्तीय वर्ष 2008–09	आयकर एपिलेट ट्रिब्यूनल
आयकर अधिनियम	आयकर	1452.00 लाख	वित्तीय वर्ष 2012–13	सी.आई.टी. (अपील)

(c) हमें सुलभ करायी गई सूचना एवं विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान निवेषक षिक्षा और संरक्षण कोष में से किसी भी राषि को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

(viii) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान ना तो किसी हानि का संचय किया ना ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किसी राषि को नकद रूप में प्राप्त किया तथा उसका तुरन्त वित्तीय वर्ष में ही पूर्ववर्ती निपटारा कर दिया है।

(ix) जब से कम्पनी स्वामित्व में आई है तब से कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। अतः यह पैरा लागू नहीं होता।

(x) हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी ने किसी भी बैंक अथवा बैंको के अलावा वित्तीय संस्थानों से ऋणों के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।

(xi) कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का आवधिक ऋण नहीं लिया है अतः इस पैरा का आदेष लागू नहीं होता।

(xii) लेखा–परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर तथा हमें सुलभ की गई जानकारी और सूचना के तहत, वर्ष के दौरान के कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी हमारे संज्ञान में नहीं पाई गई है।

कृते एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000745 सी

(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 073124

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.08.2015

अनुबन्ध – "2"

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष तक एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के खातों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत रिपोर्ट

1.	यदि कम्पनी को विनिवेष के लिये चयन किया जाता है, तो (मूर्त संपत्ति और भूमि सहित) परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संदर्भ में एक पूर्ण स्थिति रिपोर्ट (प्रतिबद्ध और साधारण आरक्षित सहित) और वर्तमान अवस्था तथा विनिवेष प्रक्रिया की जांच की जा सकती है।	— लागू नहीं —
2.	कृपया रिपोर्ट बतायें यदि किसी मामले में ऋण आदि / ऋण / ब्याज को लिखना बंद किया गया / छूट के किसी भी मामले में वहां रिपोर्ट करें, यदि हॉ, वहॉं के लिए कारण और शामिल राषि बतायें।	— शून्य —
3.	सरकार और अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में स्वीकार किये जाने वाले माल एवं अन्य वस्तुओं का उचित रिकार्ड किया जाता है।	लागू नहीं, कम्पनी की वजह से अपने कारोबार की प्रकृति की किसी भी सूची को जारी नहीं करती है।
4.	कानूनी मामले (विदेषी और स्थानीय) पर होने वाले खर्च के लिये लंबित रहने और निगरानी तंत्र के अस्तित्व / प्रभावषीलता के कारणों सहित कानूनी मध्यस्थता / मामले लंबित वर्ष की आयु के लिहाज से विष्लेषण पर एक रिपोर्ट दी जा सकती है।	लंबित रहने के कारणों सहित कानूनी / मध्यस्थता के मामले में लंबित उम्र–वाइज विष्लेषण अनुबंध " ए " के रूप में संलग्न है। कानूनी मामलों पर खर्च कम्पनी की नीति द्वारा निर्देषित किया जाता है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता की मंजूरी के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लिया जाता है।

अनुबन्ध "क"

दिनांक 31.03.2015 को उपलब्ध कानूनी प्रकोष्ठ के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर लंम्बित पंचाट / न्यायालय में मामलों की आयु के लिहाज से विश्लेषण

एच एस सी सी / ग्राहकों द्वारा फाइल किये गये मामले						एच एस सी सी / ग्राहकों के विरुद्ध फाइल किये गये मामले					
क्रम संख्या श्रेणी	मामलों की संख्या	संलिप्त राशि		लम्बित रहने का कारण	क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	संलिप्त राशि		लम्बित रहने का कारण	
		यू.एस.डी.	आई.एन.आर.					यू.एस.डी.	आई.एन.आर.		
1. एक वर्ष से कम	0	0	0		1.	एक वर्ष से कम	3	0	0	अदालत में विचाराधीन	
2. एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	2	0	90,27,193.92	अदालत में विचाराधीन	2.	एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	5	0	14,55,34,764.03 (3,25,63,576.03 + 11,29,71,188)	अदालत में विचाराधीन	
3. दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	1	0	0	अदालत में विचाराधीन	3.	दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	2	0	0	अदालत में विचाराधीन	
4. तीन वर्ष से अधिक	5	43,32,776/-	24,65,000/-	अदालत में विचाराधीन	4.	तीन वर्ष से अधिक	7	3,56,511.65	1,97,65,520/- (62,65,000/- + 1,25,00,520/- + 10,00,000)	अदालत में विचाराधीन	
कुल	**8**	**43,32,776/-**	**1,14,92,193.92**			**कुल**	**17**	**3,56,511.65**	**16,53,00,284.03**		
						ग्राहक के विरूद्ध पास की गई विधिक राशि, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई			9,51,13,105/—		
								3,56,511.65	26,04,13,389.03		

उपरोक्त अंकित की गई राशि में केवल मूल राशि के रूप में कोर्ट/मध्यस्थता मामलों में दावा की गई राशि को दर्शाया गया है तथा दावा की गई राशि में ब्याज के घटक शामिल नहीं है, जब तक मामले अदालत में विचाराधीन हैं।

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को (रूपयों में)	31 मार्च, 2014 को (रूपयों में)
I इक्विटी एवं देयताएं			
1. शेयरधारकों की निधियां :			
(क) शेयर पूंजी	1	24001800	24001800
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	1369272403	1184067118
(ग) विनिर्दिष्ट आरक्षित	3	15254582	15254582
2. अ–सामयिक देयताएं			
(क) अन्य दीर्घ–कालीन प्रावधान	4	58930802	55901827
(ख) दीर्घ–कालीन प्रावधान	5	55071065	48638760
3. वर्तमान देयताएं			
(क) ट्रेड भुगतान योग्य	6	4502318	5932532
(ख) (i) अन्य वर्तमान देयताएं	7	587084765	715739902
(ii) अन्य वर्तमान देयताएं – मंत्रालय/ग्राहक	7ए	11793590637	9252978995
(ग) अल्प–अवधि प्रावधान	8	63665350	62480991
योग		**13971373722**	**11364996507**
II परिसंपत्तियां			
1. अ–सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां	9		
(i) मूर्त		64804719	69295215
(ii) अ–मूर्त		111092	25162
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल)	10	28392327	20970352
(ग) दीर्घ कालीन ऋण तथा अग्रिम	11	8562849	32338202
2. सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) ट्रेड प्राप्ति योग्य	12	310906972	315599973
(ख) (i) नकद तथा नकद समकक्ष	13	1337107712	1392103781
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		10124994489	7250050338
(ग) (i) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम	14	173610114	65010993
(ii) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		1468450268	1937933323
(घ) (i) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	15	254287300	216673834
(ii) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		200145880	64995334
योग		**13971373722**	**11364996507**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000745 सी

(ज्ञानेष पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भागीदार : वी. बी. सिंह
सदस्यता संख्या : 073124

(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेषक

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.08.2015

(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं कम्पनी सचिव

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	2014–15 (रुपयों में)		2013–14 (रूपयों में)	
I. **प्रचालनों से राजस्व (सकल)**					
परामर्श शुल्क (सकल)		475025747		440388971	
घटायें :– सेवा–कर		52254523	422771224	48444354	391944617
II. अन्य आय	16		215720637		212569086
III. **कुल राजस्व (I+II)**			638491861		604513703
IV. व्यय					
कर्मचारियों के हित–लाभ व्यय	17		184749751		169692561
प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	18		67343452		58996261
मूल्यह्रास एवं ऋण मुक्ति खर्चे	9		6942182		4463932
V. **कुल व्यय**			259035385		233152754
VI. **अपवादी में असाधारण मदा से पहले लाभ एवं कर (III - V)**			**379456476**		**371360949**
अपवादी एवं असाधारण मदों			-		-
VII. **कर पूर्व लाभ** (Profit before Tax)			**379456476**		**371360949**
VIII. **कर व्यय :**					
वर्तमान कर		141000000		136000000	
आस्थगित कर		(6947759)	**134052241**	(4439515)	
					131560485
IX. **वर्ष हेतु लाभ (VII - VIII)**			**245404235**		**239800464**
X. 100 रूपये के प्रति अर्जित प्रति इक्विटी शेयर					
मूलभूत अर्जित प्रति शेयर			**1022**		**999**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 000745 सी

(ज्ञानेष पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भागीदार : वी. बी. सिंह
सदस्यता संख्या : 073124

(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेषक

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.08.2015

(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं कम्पनी सचिव

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

	31.03.2015 तक (रूपयों में)		31.03.2014 तक (रूपयों में)	
क. नकद प्रवाह प्रचालक कार्यकलाप				
कर पूर्व लाभ		379456476		371360949
समाशोधन हेतु :			4463932	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	6942182			
बिक्री/परित्याग परिसम्पत्तियों पर लाभ एवं हानि	70292			
ब्याज हेतु प्रावधान			-28006000	
ब्याज प्राप्त	-213231654		-196567636	
		-206219180		-220109704
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालक लाभ		173237296		151251245
समाशोधन हेतु :				
प्राप्ति योग्य ट्रेड में कमी/(बढ़ोतरी)	4693001		-137642478	
अल्प–अवधि ऋण तथा अग्रिमों में कमी/(बढ़ोतरी)	-108599121		-7679241	
मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से – अल्प अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी/(बढ़ोतरी)	469483055		-591806377	
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(बढ़ोतरी)	-37613466		-36343259	
मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से – अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(बढ़ोतरी)	-135150546		180253635	
दीर्घ–अवधि ऋण तथा अग्रिमों में कमी/(बढ़ोतरी)	-238270		-79477630	
अन्य दीर्घ–अवधि देयताओं में कमी/(बढ़ोतरी)	3028975		-3334401	
भुगतान योग्य ट्रेड में कमी/(बढ़ोतरी)	-1430215		1756984	
अन्य वर्तमान देयताओं में कमी/(बढ़ोतरी)	-128655139		380477881	
मंत्रालय – अन्य वर्तमान देयताओं में कमी/(बढ़ोतरी)	2540611642		3429675317	
प्रावधानों में कमी/(बढ़ोतरी)	-40287570	2565842345	15153870	3151034301
प्रचालक कार्यकलापों से नकद राशि की उत्पत्ति		2739079641		3302285546
प्रत्यक्ष कर भुगतान		70794281		83995229
प्रचालक कार्यकलापों से कुल नकद प्रवाह		2668285360		3218290317
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह	73431			105179
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	-4076503			-5368454
नये उपकरणों का प्रापण	213231654			196567636
ब्याज प्राप्त		209228582		191304361
निवेश कार्यकलापों हेतु कुल नकद प्रयोग				
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
भुगतान किये गये इक्विटी शेयरों पर लाभांश	-49203690			-46803510
भुगतान किया गया लाभांश	-8362170			-7592700
वित्तीय कार्यकलापों से कुल नकद		-57565860		-54396210
नकद और नकद के समांतर में कुल बढ़ोतरी/(कमी)		2819948082		3355198468
नकद वर्ष के शुरुवात		8642154119		5286955652
नकद वर्ष के अन्त में		11462102201		8642154119
सारांश :				
नकद, वर्ष के अन्त में		216920	642180	
(क) अग्रिम राशि सहित–हस्थगत नकद				
(ख) बैंकों में शेष राशि		267540115	114639813	
– चालू खाते मे				
– जमा खाते में (< 1 वर्ष)	1034732145			
– जमा खाते में (> 1 वर्ष)	34618532	1069350677	1276821788	
	योग (क)	1337107712	1392103781	
मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से अन्य बैंकों में उपलब्ध राशि				
– बचत खाते में		394451266	677699655	
– जमा खाते में (< 1 वर्ष)	9156998229			
– जमा खाते में (> 1 वर्ष)	573544994	9730543223	6572350683	
	योग (ख)	10124994489	7250050338	
	योग (क+ख)	11462102201		8642154119

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000745 सी

(ज्ञानेष पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भागीदार : वी. बी. सिंह
सदस्यता संख्या : 073124

(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.08.2015

(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं कम्पनी सचिव

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

	31.03.2014 को (शेयर्स की संख्या)	31.03.2015 को (रूपयों में)	31.03.2014 को (शेयर्स की संख्या)	31.03.2015 को (रूपयों में)
1. शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
प्रति 100 रूपये के साधारण शेयर	500000	50000000	500000	50000000
(ख) जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रति 100 रूपये के साधारण शेयर	240018	24001800	240018	24001800
(ग) बकाया साधारण शेयरों की संख्या का समाधान वर्ष के शुरूवात में और वर्ष के अन्त तक				
वर्ष के शुरूवात में	240018	24001800	240018	24001800
वर्ष के अन्त में	240018	24001800	240018	24001800
(घ) 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर–होल्डिंग का विवरण				
शेयरधारक का नाम	(शेयर्स की संख्या)	%	(शेयर्स की संख्या)	%
भारत का राष्ट्राति	239970	99.98	239970	99.98
(ङ) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण :				
इक्विटी शेयर :	**2014 -15** शेयर्स की संख्या	**2013-14** शेयर्स की संख्या		
2003-04	120009	120009		
2008-09	80006	80006		
योग	**200015**	**200015**		
(च) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण :	शून्य	शून्य		
इक्विटी शेयर :		(शेयर्स की संख्या)		(शेयर्स की संख्या)
1. शुरुवात की अवधि में बकाया शेयर राशि – प्रति 100/रूपये		240018		240018
2. अवधि के अंत तक बकाया शेयर राशि – प्रति 100/रूपये		240018		240018
2 आरक्षित एंव अधिशेष				
(क) साधारण आरक्षित				
वर्ष के शुरूवात में		259553727		267559727
जोंड़े :– लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस से अंतरित		20000000		20000000
		279553727		287559727
घटायें :– ग्राहक का ब्याज का प्रावधान { टिप्पणी संख्या 20 (के) देखें }		0		28006000
कुल (क)		**279553727**		**259553727**
(ख) लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस		924513391		767178788
वर्ष के शुरूवात में				
घटाये : अनुसूची – II के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवन		920951		
पर मूल्यह्रास के संशोधन पर संक्रमणकालीन प्रभाव		245404235		239800463
जोड़ें :– वर्ष के लिये लाभ				
विनियोजन :				
घटायें : (क) साधारण आरक्षित में अंतरित		20000000		20000000
(ख) प्रस्तावित लाभांश (शेयर्स की संख्या प्रति शेयर 205/रूपये, गत वर्ष 205/– रूपये प्रति शेयर)		49203690		49203690
(ग) प्रस्तावित लाभांश पर कर		10074308		8362170
(घ) निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड में अतंरित		0		3771400
(ङ) अनुसंधान एवं विकास फण्ड में अतंरित		0		1128600
कुल (ख)		**1089718676**		**924513391**
कुल (क) + (ख)		**1369272403**		**1184067118**
3 विनिर्दिष्ट आरक्षित				
निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड*		12286482		12286482
अनुसंधान एवं विकास फण्ड		1677200		1677200
निरंतर विकास फण्ड में अतंरित		1290900		1290900
कुल		**15254582**		**15254582**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

			31.03.2015 को (रुपयों में)		31.03.2014 को (रुपयों में)
4 अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं					
देय व्यापार			-		-
अन्य प्रतिधारण कीमत			58930802		55901827
	कुल		58930802		55901827
5 दीर्घ–कालीन प्रावधान					
कर्मचारी के लिये लागू किये गये प्रावधान			55071065		48638760
अन्य			-		-
	कुल		55071065		48638760
6 भुगतान योग्य ट्रेड			4502318		5932532
	कुल		4502318		5932532
7 अन्य वर्तमान देयताएं					
विविध देनदार		39795009		59,261,386	
जमा और अग्रिम		416471257	456266266	556,581906	615843292
ग्राहकों की ओर से अग्रिम			21877667		36750270
अन्य देयताएं (टैक्स–कर)			56201899		18113708
बकाया राशि जमा			29020115		21825561
कर्मचारी संबंधित देयताए			1816886		2344583
अन्य भुगतान योग्य			21901932		20862489
	कुल		587084765		715739902
7ए मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से					
विविध देनदार		1708590478		1,903,995,769	
प्रतिधारण राशि		535736101		361,439,348	
ग्राहकों की ओर से जमा तथा अग्रिम		8958215566		6,845,748,112	
अन्य भुगतान योग्य		249098433		120,086,220	
बुक–ओवर–ड्राफ्ट		341950059	11793590637	21,709,546	9252978995
	कुल		11793590637		9252978995
8 अल्पावधि प्रावधान					
कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान			3697718		4915131
अन्य :					
आयकर हेतु प्रावधान	501869150				
घटायें : अग्रिम आयकर / टी.डी.एस.	501179516	689634			
लाभांश हेतु प्रावधान		49203690			49203690
लाभांश कर हेतु प्रावधान		10074308	59967632		8362170
	कुल		63665350		62480991

9 स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(रूपये में)

विवरण	कुल मान				मूल्यह्रास				निवल अर्जित कमाई हेतु स्थानान्तरण	निवल मान	
मूर्त परिसम्पत्तियां : कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान जोड़	इस वर्ष बिक्री /समाशोधन	31.03.2015 को	01.04.2014 को	वर्ष 2014–15 हेतु	वर्ष के दौरान समाशोधन	31.03.2015 तक	वर्ष 2014–15 हेतु	31.03.2015 को	31.03.2014 को
बिल्डिंग (एन.ई.एस.डी.)	31,205,822			31,205,822	14,679,592	962,602	-	15,642,194	47,417	15,516,210	16,526,230
फर्नीचर और फिटिंग (एन.ई.एस.डी.)	12,717,933	1,041,689	129,642	13,629,980	9,381,391	957,449	128,650	10,210,190	82,575	3,337,215	3,336,542
कार्यालय उपस्कर (एन.ई.एस.डी.)	18,321,540	577,117	502,786	18,395,871	12,911,649	1,362,879	458,079	13,816,449	1,055,860	3,523,562	5,409,891
मोटर वाहन (एन.ई.एस.डी.)	1,125,070		-	1,125,070	1,086,151	-	-	1,086,151	845	38,074	38,919
कम्प्यूटर्स और डाटा प्रोसेसिंग इकाईयां (एन.ई.एस.डी.)	17,384,008	2,356,494	3,557,553	16,182,949	13,236,927	3,147,698	3,459,529	12,925,096	208,466	3,049,387	4,147,081
उप–योग–क	**80,754,373**	**3,975,300**	**4,189,981**	**80,539,692**	**51,295,710**	**6,430,628**	**4,046,258**	**53,680,080**	**1,395,164**	**25,464,448**	**29,458,663**
मूर्त परिसम्पत्तियां :											
भूमि–पट्टे पर ली हुई*	44,665,262		-	44,665,262	4,828,710	496,281	-	5,324,991		39,340,271	39,836,552
अ–मूर्त परिसम्पत्तियां :											
सॉफ्टवेयर	1,107,742	101,203		1,208,945	1,082,580	15,273		1,097,853		111,092	25,162
उप–योग–ख	**45,773,004**	**101,203**	-	**45,874,207**	**5,911,290**	**511,554**	-	**6,422,844**	-	**39,451,363**	**39,861,714**
वर्तमान वर्ष का योग	**126,527,377**	**4,076,503**	**4,189,981**	**126,413,899**	**57,207,000**	**6,942,182**	**4,046,258**	**60,102,924**	**1,395,164**	**64,915,811**	**69,320,377**
गत वर्ष का योग	1,223,369,734	5,368,454	1,177,871	126,527,377	53,815,760	4,463,932	1,072,692	57,207,000	-	6,932,0377	

टिप्पणी :–

* लगभग 90 वर्षों तक पट्टे पर ली गई भूमि ऋण हेतु अनुपातिक रूप में 1996 तक 57,49,075/– रूपये में तथा 3,89,16,187/– रूपये की राशि को 2006 तक प्रयोग की गई ।

	31.03.2015 तक (रुपये में)		31.03.2014 तक (रुपये में)	
10 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण पर		18718655		16532315
संदिग्ध नामों हेतु प्रावधानों पर		10838868		6670692
घटायें :– आस्थगित कर देयताएं				
कम्पनी अधिनियम और आयकर के बीच स्थायी		1165196		2232655
परिसम्पत्तियों के अन्तर पर				
कुल		**28392327**		**20970352**
11 दीर्घ–कालीन ऋण एवं अग्रिम				
कर्मचारियों का अग्रिम		1202018		655998
- यातायात अग्रिम		998500		1306250
- हाऊस बिल्डिंग अग्रिम				-
(असंदिग्ध–समझे गए)		5835000		5835000
प्रतिवाद के अधीन आयकर जमा		330850		330850
आयकर प्राधिकरण से प्राप्त करने योग्य		196481		196481
अन्य सुविधा प्राप्ति योग्य कर		-	385436705	
अग्रिम आयकर/टी.डी.एस			361423082	24013623
घटायें : आयकर हेतु प्रावधान				
कुल		**8562849**		**32338202**
12 प्राप्ति योग्य ट्रेड				
निम्न अवधि से बकाया ऋण छः माह से अधिक:				
- असंदिग्ध समझे गए		161210303		203864939
- संदिग्ध समझे गए	30587350		16471363	
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	30587350	-	16471363	-
अन्य ऋण – असंदिग्ध समझे गए		149696669		111,735,034
कुल ऋण	341494322		332,071,336	
कुल		**310906972**		**315599973**
13 नकद एवं नकद तुल्यांक				
(क) अग्रदाय सहित हस्तगत नकद		216920		642180
(ख) बैंकों में जमा राशि :				
- चालू खातों में		267540115		114639813
- जमा खातों में (< एक वर्ष)	1,034,732,145		1,276,821,788	
- जमा खातों में (> एक वर्ष)	34,618,532	1069350677		1276821788
कुल		**1337107712**		**1392103781**
मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से बैंकों में रखी शेष राशि				
- बचत खातों में		394451266		677699655
- जमा खातों में (< एक वर्ष)	9,156,998,229		5726929407	
- जमा खातों में (> एक वर्ष)	573,544,994	9730543223	845421276	6572350683
कुल		**10124994489**		**7250050338**

		31.03.2015 तक (रुपये में)		31.03.2014 तक (रुपये में)
14 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
(अनारक्षित, स्वीकार किये अन्यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त)				
कर्मचारियों का अग्रिम				
- यात्रा अग्रिम		72872		362528
- साधारण अग्रिम		1241278		812259
सप्लायर्स/ठेकेदारों की ओर से प्राप्त				
- लेनदारों का अग्रिम	4,412,085		2841313	
- ग्राहकों की ओर जमा	148,132,163	152544248	44672149	47603462
ग्राहकों की ओर से प्राप्त करने योग्य				
- ग्राहकों की ओर जमा (संदिग्ध समझे गए)	1,301,053		1301053	
घटायें : ग्राहकों की ओर से जमा अग्रिम	1,301,053	-	1301053	-
अन्य				
- असंदिग्ध समझे गए		19751716		16232744
कुल		**173610114**		**65010993**
मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से				
- लेनदारों का अग्रिम	673,815,869		753381577	
- ग्राहकों की ओर जमा	794,634,399	1468450268	1184551746	1937933323
(कोर्ट में जमा 1704.77 लाख रूपये सहित)				
कुल		**1468450268**		**1937933323**
टिप्पणिया :				
- निदेशकों/विभाग–प्रमुखों की ओर से देय राशि		394600		477007
15 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां				
अर्जित ब्याज जो देय नहीं है				
- बैंक में जमा राशियों पर		75449248		85758877
- स्टाफ को दिए गए ऋणों एवं पेशगियों पर		724749		878596
प्राप्ति योग्य ब्याज		144225898		120086228
परामर्श शुल्क ग्रहित किन्तु देय नहीं		33784113		9844952
छोटी हुई परिसम्पत्तियां		103292		105181
कुल		**254287300**		**216673834**
ब्याज प्रोद्भूत किन्तु देय नहीं				
- मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से – बैंक में जमा राशियों पर		200145880		64995334
कुल		**200145880**		**64995334**
16.अन्य आय				
बैंकों में जमा पर ब्याज		213040757		196354245
स्टाफ ऋणों पर ब्याज		190897		213391
दावा नहीं किये गये शेष		23602		669400
पुनः हिसाब में लिये गये प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।		-		12906997
निविदा दस्तावेजो की बिक्री		2461798		2412700
विविध आय		3583		12353
कुल		**215720637**		**212569086**

		31.03.2015 तक (रुपये में)		31.03.2014 तक (रुपये में)
17 कर्मचारियों के हित–लाभ खर्चे				
वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन/पी.आर.पी. तथा भत्ते		139548489		125863221
भविष्य निधि तथा पेंशन फण्ड में अंशदान		12496335		9915500
उपदान (Grantutity) में अंशदान		3697718		4915131
समूह बीमा (Group Insurance) में अंशदान		44,916		12188
स्टाफ के आवास के लिए लीज–रैण्ट (वसूली का निवल)		16858017		15400506
स्टाफ कल्याण (चिकित्सा एवं छुट्टी यात्रा सहायता सहित)		8094276		7396015
मेडिकल फण्ड ट्रस्ट में अंशदान		2490000		4000000
कल्याण फण्ड ट्रस्ट में अंशदान		1520000		2190000
कुल		184749751		169692561
18 प्रशासकीय एवं अन्य व्यय				
किराया		2507059		1656913
यात्रा एवं वाहन				
- निदेशक गण (विदेश यात्रा पर 5.83 लाख रूपये सहित, गत वर्ष 0.76 लाख रूपये)	583,428		1280736	
- अन्य (विदेश यात्रा पर 10.13 लाख रूपये सहित, गत वर्ष 2.35 लाख रूपये)	11,744,227	12327655	8536207	9816943
		111737		302398
बीमा		4096380		3489248
विद्युत एवं इधन		4018814		4326061
प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री		770622		504995
डाक एवं टेलीग्राम		1460874		1432809
टेलीफोन एवं टेलेक्स		156376		178035
वाहन रख–रखाव व्यय (रिकवरी का निवल)		3597019		4047040
वाहन किराया व्यय		482406		796194
विज्ञापन एवं प्रचार		9887514		11771667
व्यवसायिक प्रभार तथा प्रदत्त किया गया सेवा–शुल्क				
मरम्मत एवं रखरखाव (वसूली का निवल)				
- भवन	3,067,770		2608124	
- कार्यालय उपस्कर	331,010	3398780	368619	2976743
लेखा परीक्षा शुल्क : संदर्भ टिप्पणी संख्या 20(8)		654350		413371
चेरिटी एवं दान		-		25000
कारोबार उन्नति		2739114		1799342
निदेशकों का बैठक शुल्क		130000		96852
अभिदान तथा सदस्यता शुल्क		23422		453972
विधिक व्यय		1108968		486089
सूचना तकनीकी खर्चे		935140		742407
निगमित सामाजिक दायित्वों के कार्यकलापों पर खर्चे : संदर्भ टिप्पणी संख्या 20.1(जी)		4020000		3000000
भरती एवं प्रशिक्षण व्यय		722746		1433778
चौकीदार व्यय		1694211		1294424
विविध व्यय		629689		288098
गंदे और संदिग्ध नामों हेतु प्रावधान		14115987		1000442
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		70292		-
विदेशी मुद्रा के लेन–देन पर हानि		223947		-
गत–अवधि मदें				
गत–अवधि आय (विवरण हेतु निम्नांकित टिप्पणी देखें)	(2,596,835)		5929000	
गत–अवधि खर्चे (विवरण हेतु निम्नांकित टिप्पणी देखें)	57,184	(2539651)	734440	6663440
कुल		67343452		58996261

		31.03.2015 तक (रुपये में)	31.03.2014 तक (रुपये में)
गत अवधि मदो का विवरण			
आय (Income)			
परामर्श शुल्क		2596835	(5929000)
	(क)	2596835	(5929000)
खर्चे (Expenses)			
		57994	70500
यातायात खर्चे		-	280458
प्रिंटिंग एवं लेखन–सामग्री		-	108203
गाड़ियों को किराये लेने का खर्चा		-	162200
व्यवसायिक खर्चे एवं उनकी सेवाएं लेने हेतु शुल्क		65121	11333
सूचना एवं तकनीकी खर्चे (IT Expences)		-	16490
सेवा–कर (Service Tax)		-	85256
मरम्मत एवं रख–रखाव		-	
अन्य		(65931)	
	(ख)	57184	734440
	कुल (ख – क)	(2539651)	6663440

19. वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

I. कम्पनी के विषय में

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का एक मीनि–रत्न उद्यम है जो हैल्थ–केयर तथा सामाजिक क्षेत्रों में सु–विख्यात परामर्षदायी एवं प्रापण प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन है। जिसकी सेवाओं का वर्णक्रम भारत तथा विदेषों में साध्यता षिक्षण, डिजाइन इंजीनियरिंग, विस्तृत टेंडर डॉक्यूमैन्टेषन, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, समस्त क्षेत्रों में सिविल, इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सूचना तकनीकी तथा सहायक मेडिकल सेवाएं क्षेत्रों में प्रापण समर्थन सेवाएं प्रदान करना है।

II. तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये (भारतीय जी.ए.ए.पी.) भारत में प्रयुक्त लेखा मानकों से संबंधित समस्त सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के तहत जोकि पठित कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के तहत, कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को एक प्रोद्भवन आधार पर एक ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन तैयार किया गया है। कम्पनी द्वारा लेखांकन नीतियों की गत वर्ष इस्तेमाल की गई नीतियों से लगातार जांच की जाती है तथा उन्हें ही प्रयोग जाता है।

III. अनुमान के उपयोग (Use of Estimates)

आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन का अनुमान है और परिसंपत्तियां और देनदारियों, वित्तीय ब्यान की तारीख के रूप में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण की सूचना मात्रा को प्रभावित करने वाली मान्यताओं और सूचना मात्रा में आता है तथा आकंलन की गई अवधि के दौरान आवष्यक राजस्व और खर्चों के तहत दर्ज की जाती है। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

IV. राजस्व मान्यता (Revenue Recogniation)

परामर्श–शुल्क (Consultancy Fee)

विभिन्न सेवाओं के बारे में परामर्श शुल्क की मान्यता संबंधी नीतियां निम्नानुसार हैं :–

(क) डिजाइन अभियांत्रिकी / शिक्षण / प्रशिक्षण / सूचना एवं तकनीकी पर

परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग–अलग चरणों में पूरे किए गए कार्यों की आपूर्ति के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए शुल्कों / बिलों के आधार पर दी जाती है।

(ख) प्रापण पर

(i) परामर्ष शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग–अलग चरणों में पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए बिलों / प्राप्त कि गये कार्यो / स्तरों के आधार पर दी जाती है।

(ii) परामर्ष शुल्क ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ऐसी अवस्थाओं में मान्यता नहीं जाती है, परामर्ष–शुल्क को आय में निम्नानुसार मान्यता दी जाती है :–

– आपूर्ति आदेष के कार्यादेष देने पर – कुल 70% शुल्क प्राप्त किया जाता है।
– बाकी का 30% षुल्क – उपस्कर प्राप्त होने / लग जाने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) निर्माण संविदाओं पर (परियोजना प्रबंधन)

परामर्ष शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौतों के अनुसार पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसुल किए गए कार्यो के आधार पर दी जाती है। जहां पूरे हुये कार्य को वर्ष भर नहीं आंका जाता, परामर्ष शुल्क को आय में पूरे हुये कार्य को तकनीकी आधार पर निर्धारित आय में मान लिया जाता है।

(घ) साधारण

(i) जहां परियोजना की लागत में संषोधन किया जाता है वहां परामर्ष आय को उस लेखा वर्ष में संषोधित लागत में दिखाया जाता है।
(ii) यदि शुल्क के बदले संसाधन जुटाने में अग्रिम लिया गया हो तब वह समानुपातिक आधारों पर ग्राहकों के साथ हुए समझौतों अनुसार मान्यता दी जाती है।
(iii) यदि अग्रिम शुल्क, प्रथमावस्था भुगतान का भाग हो तब यह अगले भुगतान पर समझौते अनुसार ले लिया जाता है।

V. मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियां (Tangible & Intangible Assets)

क. परिसंपत्तियां (Assets)

(क) मूर्त परिसंपत्तियां (Tangible Assets)

अगर किसी अमूर्त संपत्ति, अधिग्रहण लागत, संचित मूल्यह्रास होता है तो उसे शुद्ध और संचित हानि या नुकसान कहा जाता है। मूर्त संपत्ति के मदों से संबंधित बाद के व्यय इसकी बुक–वैल्यू को ही वृद्धि प्रदर्षन के पहले का मूल्यांकन मानक से परे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के हित–लाभ से जोड़ रहे हैं।

मूर्त संपत्ति की मदों को सक्रिय उपयोग करने के उद्देश्य उन्हें सेवा–निवृत्त कर दिया गया है तथा उन मदों का निपटारा निवल बही मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम कर दी जाती है तथा " अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति " के अन्तर्गत वित्तीय लेख्यों में अलग से दर्षायी जाती है। किसी भी लाभ–हानि अथवा हानि को लेखा–विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां (Intangible Assets)

अमूर्त परिसंपत्तियां को अधिग्रहण लागत के तहत दर्ज की जाती है और यदि कोई नुकसान होता है तो उसे शुद्ध संचित परिषोधित हानि मानी जाती है।

ख. मूल्यह्रास (Depreciation)

(क) मूर्त परिसंपत्तियां (Tangible Assets)

(i) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहार्स कम्पनी अधिनियम, 2013 में, अब तक अनुसूची– II में निर्धारित दरों एवं तरीके से लिखित मूल्य पद्धति पर दिया जाता है, वर्ष के दौरान 5000 रूपये तक की प्रत्येक परिसम्पत्ति को पूरी तरह से खरीद कर उसे मूल्यहार्सित किया जाता है।
(ii) पट्टा भूमि का पट्टा अवधि के समय परिषोधन यथानुपात ढंग से किया जाता है।
(iii) लेखन सामग्री और पुस्तकालय की पुस्तकों को वर्ष के दौरान ही राजस्व से पूर्णतयाः प्रभारित कर दिया जाता है।
(iv) अचल संपत्तियों के अलावा / कटौती पर मूल्यह्रास का उपयोग करने के लिए मूर्त संपत्ति की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रदान की जा रही है / त्याग कर दी गई या बेच दी जाती है।

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां (Intangible Assets)

(i) सॉफ्टवेयरों का अधिकतम 3 वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, इसके लिये सॉफ्टवेयर की ह्रासित–मूल्य लागत में खरीदने के तीसरे वर्ष में अन्दर उन्हे पूर्णतयाः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।
(ii) वर्ष में 5000/– रूपये से कम राषि के सॉफ्टवेयर को मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

VI. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की 20,000/– रुपये प्रत्येक से अधिक की आय / व्यय को पूर्व वर्षों की पूर्व अवधि आय / व्यय मदें समझा जाता एवं यथोचित उल्लेख किया जाता है।

VII. पूर्वदत्त व्यय

अनुवर्ती वर्षों से संबंधित 20,000/– रुपये तक के प्रत्येक व्यय को चालू वर्ष के व्यय से लिया गया है। 20,000/– रुपये से अधिक के खर्चों को पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

VIII. कर्मचारी हित–लाभ (सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पश्चात) Employee Benefits (Retirement / Post Retirement)

(क). निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

(i) चिकित्सा सुविधा (Medical Facility)

कम्पनी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसके तहत चिकित्सा लाभ योजना है। यह योजना कम्पनी द्वारा वित्त पोशित है तथा एक अलग ट्रस्ट अर्थात " एच एस सी सी कर्मचारी मेडिकल फण्ड ट्रस्ट " द्वारा चिकित्सा पर हुये खर्चों का भुगतान किया जाता है। ट्रस्ट को योगदान भुगतान के आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

(ii) **गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत** (Leave Travel Concesssin – LTC for Home Town)

कम्पनी की ओर से कर्मचारियों तथा उन पर आश्रितों के लिये यात्रा भत्ता रियायत योजना है। यह योजना अ–निधि है एवं इसे मूल भुगतान आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दे जाती है।

(iii) **पेंशन योजनाएं** (Pension Plans)

ऐसी सेवानिवृत्ति योजना के रूप में निर्धारित अंषदान योजना में योगदान, कर्मचारी पेंषन योजना आदि किए जाने के लिए आवष्यक योगदान की राषि के आधार पर एक व्यय के रूप में चार्ज की जाती है और इन सेवाओं को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। कर्मचारी पेंषन योजना में योगदान भविष्य निधि के नियोक्ता के शेयर से बाहर है।

(ख). निर्धारित हित–लाभ योजनाएं (Defined Benefit Plans)

(i) **भविष्य–निधि** (Provident Fund)

भविष्य निधि अंषदान पी.एफ. ट्रस्ट द्वारा प्रषासित एक ट्रस्ट नाम से प्रषासित है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत, न्यास के सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला घोषित ब्याज वैधानिक दर से कम नहीं होगा और यदि कम होता है, फिर भी कोई हो तो कम्पनी द्वारा अच्छा किया जायेगा।

(ii) **उपदान** (Gratuity)

कम्पनी भी उपदान (ग्रेच्युटी) मुआवजा अनुपस्थिति के रूप में सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पष्चात लाभ प्रदान करती है। इस तरह परिभाषित लाभ की योजनाओं की दिषा में समूह का दायित्व मूल्यांकनों के आधार पर निर्धारित होता है। तुलन–पत्र की तिथि के रूप में, अनुमान इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग स्वतंत्र रूप से पंजीकृत की गई है। परिभाषित लाभ की योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ (Actuarial Gains) या हानि पाई जाने की स्थिति में उसे उसी वर्ष के लाभ एवं हानि के लेखों में दर्ज कर ली जाती है।

कम्पनी में उपदान प्रतिपूर्ति हित–लाभ को परिभाषित कर रखा है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक का सेवा–काल पूरा कर लिया हो वह वर्ष में 15 दिन का वेतन–मान (बिमारी की छुटट्‌ी 15 / 26 गुणा लिया गया अन्तिम वेतन, मंहगाई भत्ता) के आधार पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष जिसमें उसकी अधिवर्षिता (Superannuation), त्याग–पत्र (Resignation), समाप्ति (Termination), या उसकी विकलंगता या मृत्यु होने की दषा में उसे अधिकतम राषि 10 लाख रूपये (गत वर्ष 10 लाख रूपये) मिलने का प्रावधान है। यह योजना " एच एस सी सी कर्मचारी उपदान फण्ड ट्रस्ट " के नाम से जानी जाती है जोकि कम्पनी के अलग से ट्रस्ट द्वारा वित्त–पोषित की गई है, कम्पनी ने ग्रुप–ग्रेच्युटी–एवं–जीवन बीमा योजना लागू है जोकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यवस्थितित है। जितनी राषि भारतीय जीवन बीमा निगम को देनी होती है उतनी राषि की गणना करके योजना की देयताओं का वास्तविक मूल्याकंन करके उन्हें वार्षिक आधार पर मानकर उसे मान्यता दे जाती है।

(iii) **छुट्टी प्रतिपूर्ति** (Leave Encashment)

कम्पनी ने छुट्टी प्रतिपूर्ति हित–लाभ को अर्जित अवकाष तथा अर्द्ध–वेतन (बिमारी की छुट्टी) हेतु अनुपस्थितित के भुगतान के रूप में परिभाषित कर रखा है। यह योजना अ–निधि है तथा जिसे मूल भुगतान आधार पर परियोजना एकक क्रेडिट विधि को प्रयोग करके लाभ एवं हानि लेखे में वास्तविक मूल्याकंन करके वार्षिक आधार पर मान्यता दे जाती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त की गई राषि को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दे दी गई है।

IX. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन उल्लेख संबंधित लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। विनिमय दर में बाद में आए उतार–चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को चाहे वो निपटारे पर हो चाहे अनुवाद पर लाभ–हानि को मानकीकृत लेखों में आंका जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों द्वारा अर्जित करने से संबंधित के अतिरिक्त, इस तरह के मामलों में परिसंपत्तियों से लगायी गई लागत से समाषोधित की जाती है।

X. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर हुये राजस्व खर्चों को उसी वर्ष के खर्चों में दर्ज किया जाता है।

XI. कराधान हेतु प्रावधान

कर खर्चे वर्तमान और आस्थगित कर में शामिल हैं। वर्तमान आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्राधिकरण में भुगताई गई राषि के अनुसार संभावित राषि के साथ मापा जाता है। आस्थगित आयकर योग्य आय और वर्ष के लिए लेखांकन आय और पहले के वर्षो / अवधि के अंतर एवं परिवर्तित समय–अनुसार वर्तमान वर्ष के समय मतभेद के प्रभाव को दर्षाते हैं। आस्थगित कर को आयकर की दरों और स्वतंत्र तुलन–पत्र की तिथि में अधिनियमित तथा अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है। आस्थगित कर द्वारा संपत्ति और आस्थगित कर की देनदारियों की भरपाई की जा रही हैं, एक कानूनी रूप से लागू सही वर्तमान कर संपत्ति से दूर स्थापित करने के लिये मौजूद है एक अधिसूचित कराधान कानूनों द्वारा लगाई गई आय पर करों से संबंधित है। आस्थगित कर संपत्ति पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय में आस्थगित कर संपत्ति की तरह महसूस की जा सकता है, जो आस्थगित कर के विरूद्ध लेखों में उपलब्ध है यह पूर्णतया निष्चित नहीं है तथा एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध है।

जब कम्पनी अन्वषोशित मूल्य–ह्रासित होने अथवा घाटा होने या उसे आगे ले जाने की स्थितियों में, सभी आस्थगित कर संपत्तियां भविष्य कर योग्य लाभ के तहत दर्ज की जाती है ऐसी मूल्यह्रासित कर–परिसंपत्तियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निष्चित रूप से मान्यता दी जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि में, कम्पनी की अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है। यह मामला यथोचित निष्चित और अनिष्चित रूप में पर्याप्त योग्य आय में आस्थगित कर–संपत्ति के तहत मान्यता दी जाती है जोकि की भविष्य में पाई जाने वाली विसंगतियों जैसी आस्थगित कर–संपत्ति के रूप में उपलब्ध होंगी एवं पहचानी जा सकेंगीं। आस्थगित कर–संपत्ति की वहन राषि को प्रत्येक तुलन–पत्र (Balance Sheet) की तिथि में समीक्षा की जाती है। कम्पनी आस्थगित कर–संपत्ति से प्राप्त वहन राषि को संभावित एक निष्चित या अनिष्चित अवधि तक यथोचित रखता है, जैसा भी मामला हो, जिसे भविष्य में आवष्यकता पड़ने पर अन्य आय में मान्यता दी जाती है एवं कर–योग्य संपत्ति के रूप में उपलब्ध रहती है। ऐसी कोई भी ह्रासित–मूल्य वाली राषि को निष्चित और अनिष्चित तौर पर पलटकर दौबारा इस्तेमाल हो जाती है, जैसा भी मामला हो, वह दूरदर्षिता के आधार पर भविष्य कर–योग्य आय में पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो जायेगी।

XII. देयताएं / उपबंध जिनकी दीर्घकालीन आवश्यकता नहीं

चार वर्ष या उससे अधिक देयताओं / उपबंधों को तैयार कि गयी दिनांक तक उन्हें तुलन पत्र से हटा दिया गया है। भविष्य में यदि या बाद में कोई दावा किया जाता है तो उन्हें वर्ष में भुगता दिया जाता है। कुल राषि को अन्य मुख्य खाते में दर्षाया गया है।

XIII. उपलब्धि संबंधित आय (Performance Related Pay – P R P)

लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिषा–निर्देषानुसार, कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को उनके प्रदर्षन के अनुसार उपलब्धि संबंधित आय (Performance Related Pay – P R P) दी जाती है। यह पी.बी.टी. का 3% तथा पी.बी.टी. का 2% अथवा बड़े हुये लाभ का 10% प्रदान किया जाता है बोर्ड के कार्यपालक निदेषकों को पी.बी.टी. का 5% तथा अतिरिक्त दायित्व के लिये अ–कार्यपालकों को प्रदान किया जाता है।

XIV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

अतीत की घटनाओं के परिणामों के कारण यही संभावित वर्तमान दायित्व हैं जब कम्पनी एक उद्यम के रूप में कार्यरत है; इससे संसाधनों के बहिर्वाह का एक विष्वसनीय अनुमान किया जा सकता है तथा इसमें दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिये पूर्वानुमानों की संभावना है। प्रावधानों को वर्तमान मूल्य–अनुसार रियायती नहीं किया जा रहा है और तुलन–पत्र (Balance Sheet) में निर्धारित किये गये दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिये आवष्यक तत्वों से अनुमानों के आधार पर उन्हें निर्धारित किया जा सकता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि के दौरान समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान विवरणों के तहत, एक अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिये समायोजित किया गया है।

आकस्मिक देयताएं जोकि अस्तित्व में नहीं आते अतः उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है, वे कम्पनी के वर्तमान दायित्वों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उनका भविष्य की एक या एक से अधिक घटनाओं और अनिष्चित घटनाओं के तहत पुष्टि नहीं की जाती क्योंकि अतीत की घटनाओं से विभिन्न संसाधनों का उत्सर्जन होता है और इन्ही संसाधनों से बहिर्वाह दायित्वों को आवष्यकता अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। किन्तु कुछ मामलों में प्रत्यक्ष नजर आई आकस्मिक दायित्वों को अत्यंत दुर्लभ और कमजोर होने की दषा में मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मान्यता–प्राप्त नहीं हैं। कम्पनी ग्रुप इस तरह के आकस्मिक दायित्व मान्यता नहीं दे सकता क्योंकि वित्तीय विवरणों में इस तरह के दायित्व का प्रकटीकरण अथवा खुलासा नहीं किया गया है।

XV. संदिग्ध ऋण (Doubtful Debts)

तीन वर्षो तक बकाया राषि को जमा नहीं किया जा रहा है जो लेखा–पुस्तकों में प्रदान की जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्र्स के अनुमोदन पष्चात इन बकाया राषियों की वसुली के लिये हर संभव प्रयास किया गया है। इस वर्ष के अन्त तक कम्पनी के इन खातों अथवा आय में ऐसी कोई राषि भविष्य वसूली के तहत प्राप्त नहीं हुई है।

XVI. प्रचालक पट्टे (Operating Leases)

जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण भाग पट्टादाता द्वारा रखा जाता है जिसमें लीज प्रचालक (ऑपरेटिंग) पट्टों के रूप में वर्गीकृत की जाती है। कम्पनी ऐसी व्यवस्था के तहत पट्टेदार है। ऐसे पट्टों के तहत भुगतान पट्टे की प्राथमिक अवधि में एक सीधी–रेखा के आधार पर लाभ एवं हानि के बयान के लिय चार्ज की जाती है।

वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियां

20. लेखा टिप्पणियाँ

I. आकस्मिक देयताएं जिनकी व्यवस्था नहीं की गयी :–

(a) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं समझा गये 1.83 लाख रुपये (गत वर्ष 1.83 लाख रुपये) ।

(b) स्टाफ की विवादित राषि 34.61 लाख रूपये का निपटारा ना होना (गत वर्ष 34.61 लाख रुपये) ।

(c) 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की ओर से बैंक द्वारा गांरटियां जारी की गई राषि 261.34 लाख रूपये (गत वर्ष 353.175 लाख रूपये)।

(d) आयकर (Income Tax)

- वर्ष 2005–06 हेतु आयकर राषि 388.86 लाख रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी के पास सी.आई.टी. (अपील) में अपील दाखिल की थी जिसे सी.आई.टी. (अपील) ने पास करके कम्पनी के हक में आदेष जारी किया है। अभी सी.आई.टी. (अपील) के आदेष के विरुद्ध डी.सी.आई.टी. (D C I T) ने आयकर अपील अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - I T A T) में अपील दाखिल की है। अपील अभी सुनवाई के लिये लम्बित है।
- वर्ष 2008–09 हेतु आयकर राषि 6.29 लाख रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी के पास सी.आई.टी. (अपील) में अपील दाखिल की थी जिसे सी.आई.टी. (अपील) ने पास करके कम्पनी के हक में आदेष जारी किया है। अभी सी.आई.टी. (अपील) के आदेष के विरूद्ध डी.सी.आई.टी. (D C I T) ने आयकर अपील अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - I T A T) में अपील दाखिल की है। अपील अभी सुनवाई के लिये लम्बित है।
- वर्ष 2012–13 हेतु आयकर राषि 14.52 करोड़ रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी के पास सी. आई. टी. (अपील) में अपील दाखिल की थी तथा अपील अभी तक लम्बित है एवं कोर्ट में सुनवाई के लिये स्थायी पड़ी है।
- अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 की अवधि के लिये सेवा–कर डिमाण्ड तथा कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध 10.05 लाख रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने संबंधित प्राधिकरणों के पास जवाब दाखिल किया है।

(e) कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुसूची द्वितीय में विनिर्दिष्ट मानकों के तहत अनुसूची द्वितीय के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने आवेदन किया है तथा उसके तहत उसका जीवन–अनुमानित है। तदनुसार, वे मूल्य–हार्सित वस्तुएं जिनकी समय–सीमा 1 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो गई है, उन अचल संपत्तियों को लाभ–हानि खाते के संतुलन को खोलने में समायोजित कर लिया गया है, जिसकी राषि 13.95 लाख रूपये है। गत वर्ष के आकड़ों की गणना पर परिसंपत्तियों की मूल्य–हार्सित राषि में 11.43 लाख रूपये से 27.17 लाख रूपये बढ़ने के कारण इसकी राषि बढ़ गई है।

(f) जहां विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों द्वारा अदालत / मध्यस्थता के तहत 2826.00 लाख रूपये (गत वर्ष 2310.40 लाख रूपये) लगभग का दावा किया है, जिसमें एच एस सी सी सह–प्रतिवादी है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा इन मामलों में कम्पनी पर कोई देनदारी की उम्मीद नहीं है।

(g) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) पर 40,20,000 रूपये (गत वर्ष 30,00,000 रूपये) खर्च किये हैं, अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के 2 प्रतिशत औसत लाभ अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 40,84,615 रूपये (गत वर्ष शून्य) खर्च किये हैं।
कम्पनी के सी.एस.आर. फण्ड खाते में 1,22,86,482 रूपये सुरक्षित हैं। नई दिषाओं की तलाष जारी है तथा उसी अनुसार वर्षों से खर्च किये जायेंगे।

(h) एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (C R I, Kasauli) में परामर्ष शुल्क के संदर्भ में, इस परियोजना में कुछ छोटी–मोटी त्रुटियां होने के कारण, इन्हें ठीक करने एवं इनमें बदलाव के लिये विगत (अक्टूबर, 2006 में) कम्पनी 3 करोड़ रूपये की राषि के लिये सहमत है तथा इस राषि को 2/3 तक बारियों में लिया जायेगा। किन्तु इस निर्णय को बोर्ड अभी मंजूरी नहीं दी है। अब, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कम्पनी ग्राहक के साथ संयुक्त रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इस परियोजना में आई उद्घाटित कमियों को दूर करे। इस असाधारण जिम्मेदारी के कारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (M O H & F W), भारत सरकार ने एक एजेंसी को यह कार्य सौंपा है जो कम्पनी द्वारा 2004 से भवन निर्माण में उपलब्ध करवाई जा रही परामर्ष सेवाओं में आई बढोतरी को मूल्यांकित करेगी जैसे य जब केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – (C R I, Kasauli) को बिल्डिंग सौंपी जायेगी, यदि मांग नहीं की जायेगी जब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस बढ़ी हुई राषि का भुगतान एवं वहन कम्पनी करेगी। अभी तक देयता राषि को विनिष्चित नहीं किया गया है। इसके अनुसार, यह लाभ एवं हानि लेखे उसी वर्ष दर्ज की जाती है जब यह देयता निर्धारित की जाती है।

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09/05/2013 पत्र संदर्भ संख्या टी–14020/27/2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संख्या एस.एल.पी. संख्या 12397/2013 के संदर्भ में उठाये गये मामले के एवज में दिये गये आदेष की अनुपालना में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिये गये न्याय तथा दिनांक 21.12.2012 को जारी आदेष संख्या एफ.ए.क्यू. नम्बर 623/2012 के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है तथा यह निर्णय लिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्तर पर एच एस सी सी (इंड़िया) लि. को मैसर्स आई.एस.एस.ए.इंडस्ट्रीज के बेडनेटों (Bednet) के मामले में विधान राषि (Decretal Amount) भुगतान राषि जमा करनी होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त आदेष का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 15.05.2013 को एच एस सी सी ने 1704.77 लाख रूपये जमा कर दिये है तथा शेष धनराषि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जमा किया है जो एच एस सी सी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है बाकी अभी उपलब्ध नहीं है जिसे दिनांक 10.05.2013 को आयोजित 128वीं बोर्ड की बैठक (Board Meeting) तथा शेयरहोल्डर्स (Shareholders) की दिनांक 13.05.2013 को आयोजित द्वितीय असाधारण आम–सभा बैठक (2nd Extra Ordinary General Meeting) में अनुमोदित कर दिया गया है। यह राषि ग्राहक – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH&FW) की ओर से जमा, टिप्पणी संख्या 14– अल्प–अवधि ऋण एवं अग्रिमों की टिप्पणियों के तहत वित्तीय विवरणों में शामिल है। जैसा कि असाधारण आम–सभा बैठक (Extra Ordinary General Meeting) में निर्णय लिया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले से जुड़े व्यक्तिओं / खामिओं के लिये जिम्मेदार संगठन की जांच तथा खामिओं का पता लगाने के लिये विवाचन / न्यायालयों के आदेषों का दायित्व निभाने तथा मामले से जुड़ी खामिओं / भूल / चूक की जांच (Inquiry) स्थापित करने के लिये निवेदन किया गया है। विषेषरूप से इन चूकों एवं भूलों के कारणों के लिये संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके विवाचन में एच एस सी सी विवाचनार्थ उत्तदायी नहीं है। इसके अलावा, इस संबंध में दिनांक 19.02.2014 को ए.एस.जी.इंदिरा जयसिंह द्वारा भी अग्रेषित राय जानने की मांग की है।

(j) ग्राहकों से प्राप्त धन को रखने के लिए किये गये करार के निबंधन एवं शर्तोनुसार अलग बैंक खातों में रखा जाता है। इस तरह के ग्राहकों के साथ हुए समझौते के लिये कम्पनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर परामर्ष–षुल्क के रूप में क्रमशः 74130.84 लाख रुपये (पिछले वर्ष 68181.97 लाख रुपये) प्राप्त किए हैं।

इस धनराशि को बैंक में एक अलग खाते में रखा गया और स्रोत पर कर कटौती पश्चात निवल ब्याज की राशि संबंधित मंत्रालयों के नामे खाते में गयी। वर्ष 2014–15 के दौरान, कायिक खाते (Corpus Account) में ब्याज राषि 1098.32 लाख रूपये (गत वर्ष 848. 62 लाख रुपये) का संचय किया गया है। इसके अलावा, ऐसे खातों का विवरण ग्राहकों की ओर से नामे व जमा शेष राशि संबंधित लेखा शीर्षों के तहत वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से 31.03.2015 तक बैंकों के पास पडी बकाया 2031.30 लाख रूपये (गत वर्ष 746.34 लाख रुपये) राषि के लिये साख–पत्र स्थापित किया गया है।

(k) वर्ष के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने ग्राहक के रूप में जमा की गई धनराषि की तिथि से ब्याज के लिये कम्पनी पर दावा किया है। ग्राहकों के साथ करार के अनुसार, कम्पनी ने वर्तमान वर्ष की ब्याज राषि के रूप में ग्राहक खाते में शून्य रूपये (352.24 लाख रूपये जमा) किये है तथा पिछले वर्षों में अर्जित आय की ब्याज राषि के तहत सामान्य आरक्षित राषि शून्य रूपये (280.06 लाख रूपये) का उपयोग करके कम्पनी के निवल के रूप में कम्पनी द्वारा कर का भुगतान कर दिया है।

II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31.03.2015 तक ग्राहकों की ओर से, मात्र एक सप्लायर पर (गत वर्ष शून्य रूपये) की मूलधन के रूप में पहचान हो पायी है।

III. कम्पनी ने विविध देनदारों को पुष्टिकरण पत्र (Confirmation Letter) भेजा है किन्तु उनकी ओर से आज तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अधिकतर पार्टियों के खातों में जमा राषिओं और विभिन्न शेष राषिओं में विविध लेनदारों, जमा राषिओं की पुष्टि शेष राषि निपटारा होने पर कर दिया जाता है।

IV. ग्राहकों के कार्यों में विविध लेनदारों के क्लैम न किये गये खातों का निपटारा उन्हें स्थानातंरित करके संबंधित ग्राहक खातों के अनुसार उसी वर्ष उनसे निपटाये खातों के अनुसार समाषोधित कर लिये जाते है।

V. अ–समायोजित राषि जो ग्राहकों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेष मंत्रालय, राज्य सरकारों, सरकारी अधीनस्थ निकायों, लोक उधम विभागों इत्यादि) के खाते में पिछले 4 वर्षों से पड़े 939.55 लाख रूपये (गत वर्ष 1771.76 लाख रूपये) जिसमें कायिक खाते (Corpus Account) में पड़े 518.48 लाख रूपये (गत वर्ष 872.65 लाख रूपये) सहित को उनके साथ उसी वर्ष भुगता दिया जाता है।

VI. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याणार्थ अनुमोदित कर्मचारी चिकित्सा एवं कल्याण न्यास में क्रमषः 24.90 लाख तथा 15.20 लाख रूपये (गत वर्ष प्रत्येक पर 40 लाख रूपये तथा 21.90 लाख रूपये) का अंषदान किया है।

VII. वर्ष 2014–15 हेतु 53.65 लाख रूपये (गत वर्ष 95.45 लाख रूपये) बकाया व्यय सहित प्रदर्षन संबंधित वेतन (Performance Related Pay–PRP) भी शामिल है।

VIII. लेखा–परीक्षकों * का भुगतान (Payment of Auditors)

(रुपये लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
लेखा–परीक्षा शुल्क	4.50	3.00
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.70	0.60
बाह्य खर्चों की प्रतिपूर्तियां	1.34	0.53
योग	6.54	4.13

* सेवा–कर को छोड़कर

IX. बोर्ड निदेषकों के मतानुसार, 31.03.2015 से लागु चालू परिसम्पत्तियों एवं ऋणों तथा अग्रिमों की राषि साधारण मानकानुसार कारोबार में कम से कम उक्त राषि दर्षायी गई तारिख के बराबर ही है जोकि तुलन पत्र के षूरू में वर्णित की गई थी।

X. वर्ष 2014–15 के लिये कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक स्वायत्त फर्म द्वारा किया जाता है। सत्यापन में पाई गई अनुपयोगी संपत्ति कम्पनी के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार इसके साथ पेष की गई हैं।

XI. विदेषी मुद्रा के संदर्भ में (मुद्रा परिवर्तनों सहित) की सूचना :

(रुपये लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय :		
– यात्रा	5.83	1.21
– सी. आई. एफ. आधार पर आयात		
लागत पूंजीगत माल (ग्राहकों की ओर से)	913.17	47.44

(XII). लेखा मानक – 7 के तहत प्रकटण " ठेकों का निर्माण "
ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा निष्पादित परामर्षदाता के रूप में सिविल निर्माण कार्य परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है :–

(रुपये लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
(क) वर्ष के दौरान ग्राहकों की ओर से कुल लागत राषि प्राप्त की गई	44777	36979
(ख) वर्ष के दौरान इसी तरह के ठेकों पर परामर्ष शुल्क	4098	3692
(ग) इस तरह के ठेकों पर मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से बकाया जमा / अग्रिम	64264	48867
(घ) इस तरह के ठेकों पर बकाया प्रतिधारण राषि	5357	3614

XIII. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, एच एस सी सी (H S C C) का ग्राहको की ओर से निर्माण की गतिविधियों के लिये 44777 लाख रूपये (गत वर्ष 36979 लाख रूपये) का लेन–देन हुआ था।

XIV. लेखा मानक – 15 के तहत प्रकटण " कर्मचारियों का हित–लाभ "
" कर्मचारियों के हित–लाभ में " से संबंधित प्रणाली का प्रकटन निम्नलिखित है :–

(i) निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

(क) भविष्य निधि
कम्पनी की नीति प्रतिभूतियों में धन निवेष करती है जिसके लिये अलग ट्रस्ट अर्थात "' एच एस सी सी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट " के लिये पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिये निष्चित योगदान देता है। वर्ष के लिए कोष में योगदान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि खाते में समाषोधित कर लिया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में सदस्यों के योगदान पर ब्याज की न्यूनतम दर का भुगतान करने के लिये आवष्यक है। ट्रस्ट को घाटा, यदि कोई हो, ब्याज की न्यूनतम दर के भुगतान के कारण कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है और लाभ और खर्च के रूप में हानि खाते में मान्यता प्राप्त है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने कर्मचारियों की ओर से भविष्य निधि में 100.08 लाख रूपये (गत वर्ष 85.97 लाख रूपये) का योगदान तथा वर्ष 2014–15 हेतु 9.25 लाख रूपये (गत वर्ष 5.04 लाख रूपये) के घाटे की पहचान की गई है।

(ख) चिकित्सा सुविधा
वर्ष के दौरान कम्पनी की ओर से ट्रस्ट के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 24.90 लाख रूपये (गत वर्ष 40 लाख रूपये) का योगदान दिया गया है जिसमें सतत कर्मचारियों की बिमारियों का खर्चा भी शामिल है।

(ग) गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत
वर्ष के दौरान कम्पनी ने लाभ एवं हानि लेखा में 1.27 लाख रूपये (गत वर्ष 1.28 लाख रूपये) छुटटी भत्ता रियायत (Leave Travel Concession) के रूप में मान्यता दी है।

(ii) निर्धारित हित–लाभ योजना (Defined Benefit Plan)

(क) उपदान (Gratuity)
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अनुसार मान्यता दी जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	**सदस्यता विवरण**		
	सदस्यों की संख्या	152	149
	औसत आयु (वर्ष)	39.74	39.09
	औसत मासिक आय (रूपये)	47242.22	45718.47
	औसत पूर्व सेवा (रूपये)	10.13	9.34
2.	**बीमांकक धारणाएं**		
	मृत्यु संख्या दर	एल.आई.सी. (1994-96) अंतिम	एल.आई.सी. (1994-96) अंतिम
	वापसी दर	1% -3% आयु पर निर्भर	1% -3% आयु पर निर्भर
	छूट दर	8% वार्षिक	8% p.a
	आय वृद्धि	7% वार्षिक	7% p.a
3.	**परिणामों का मूल्यांकन**		
	गत–सेवा हित–लाभ का पी.वी.	359.95	321.64
	वर्तमान सेवा लागत	20.50	21.40
	कुल सेवा उपदान	1007.55	976.90
	प्रोद्भूत उपदान	465.34	404.83
	एल.सी.एस.ए. (LCSA)	542.21	572.07
	नवीकरण दिनांक से फण्ड राशि	345.09	293.65

वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नीति के अनुसार उपदान के लिये योगदान 36.98 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

(ख) छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

अनुपस्थिति हेतु मुआवजा घटकों का सारांष निम्नलिखित है (छुट्टी प्रतिपूर्ति)

(i) वर्तमान मूल्य पर आभार में परिवर्तन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(क)	कार्यकाल की शुरूवात पर आभार का वर्तमान मूल्य	486.37	383.10
(ख)	लाभांश लागत	41.34	30.65
(ग)	वर्तमान सेवा लागत	63.01	63.40
(घ)	किया गया हित–लाभ भुगतान	(56.31)	(30.61)
(ड़)	वास्तविक (प्राप्त)/आभार पर हानि	16.28	39.83
(च)	कार्यकाल के अन्त में आभार का वर्तमान मूल्य	550.71	486.37

(ii) लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किये गये खर्चे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(क)	वर्तमान सेवा मूल्य	63.01	63.40
(ख)	लाभांश लागत	41.34	30.65
(ग)	वास्तविक (प्राप्त) निवल/कार्यकाल में दर्ज हानि	16.28	39.83
(घ)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किये गये खर्चे	120.63	133.88

(iii) देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(क)	अथ निवल देयता	486.37	383.10
(ख)	उपरोक्त खर्च	120.63	133.88
(ग)	भुगतान किये गये हित–लाभ	(56.31)	(30.61)
(घ)	शेष निवल देयता	550.71	486.37

(iv) देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(क)	छूट दी गई दर (%)	7.75	8.5
(ख)	भविष्य में वेतन–वृद्धि (%)	5.25	6.0
(ग)	सेवा–निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

XV. लेखा मानक – 17 के तहत प्रकटन " प्रतिवेदन अंश " श

कम्पनी का मुख्य कारोबार केवल परामर्ष सेवा प्रदान करना है। इसके अनुसार, कम्पनी एकल प्राथमिक अंष का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी भारत में प्राथमिक परियोजनाओं को ग्रहण करती है, अतः यहां कोई प्रतिवेदित भौगोलिक अंष नहीं है।

XVI. गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित करके एवं उनका दौबारा से ग्रुप बनाकर जहां तक संभंव होता है उन्हें वर्तमान वर्ष के लिये तुलनीय बनाया जाता है।

XVII. लेखा मानक – 18 के तहत प्रकटन " पार्टी से संबंधित प्रकटन "
संबंधित पार्टी लेन–देन में निम्नलिखित प्रावधान है : –

(क) संबंधित पार्टियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	संबंध का प्रकार
(i)	**श्री ज्ञानेश पाण्डेय** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
(ii)	**श्री एस. के. जैन** - निदेशक (इंजीनियरिंग)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ख) संबंधित पार्टियों का संचालन : –
पारिश्रमिक खर्चों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक तथा निदेषक (इंजीनियरिंग) को पारितोषिक के तौर पर 64.17 लाख रूपये (गत वर्ष 61.61 लाख रूपये) दिये गये प्रतिपूर्ति खर्चों का विवरण उपरोक्त वर्णित पैरा में उल्लेख कर दिया गया है।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण (देय / देने योग्य)	2014-15	2013-14
(i)	वेतन एवं भत्ते	48.58	44.44
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	3.96	3.56
(iii)	मकान किराया (निवल)	8.40	11.06
(iv)	चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत एवं परिलब्धियां	3.22	2.55
	कुल	**64.17**	**61.61**

इसके अलावा, उक्त पारिश्रमिक में उपदान योजना तथा सामूहिक बीमा योजनाओं एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है।

XVIII " अर्जित प्रति शेयर " से संबंधित लेखा मानक – 20 का प्रकटन

क्र.सं.	प्रतिशेयर उपार्जन का परिकलन	2014-15	2013-14
(क)	इक्विटी शेयर–धारकों को वर्ष हेतु आरोप्य निवल लाभ (रुपये लाख में)	2454	2398
(ख)	वर्ष के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की संख्या	240018	240018
(ग)	प्रति शेयर उपार्जन (क) / (ख) (रुपये)	1022	999
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	100	100

<u>**अनुसूची 1 से 20 तक हस्ताक्षरकर्ता**</u>

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000745 सी

(ज्ञानेष पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भागीदार : वी. बी. सिंह
सदस्यता संख्या : 073124

(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेषक

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.08.2015

(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं कम्पनी सचिव

एच एस सी सी द्वारा हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाओं की एक झलक

एच एस सी सी द्वारा हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाओं की एक झलक

डॉ. डी. पी. रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान, नोएडा

[illegible] शिशु अस्पताल, ग्वालियर

[illegible] बंगलोर

[illegible]

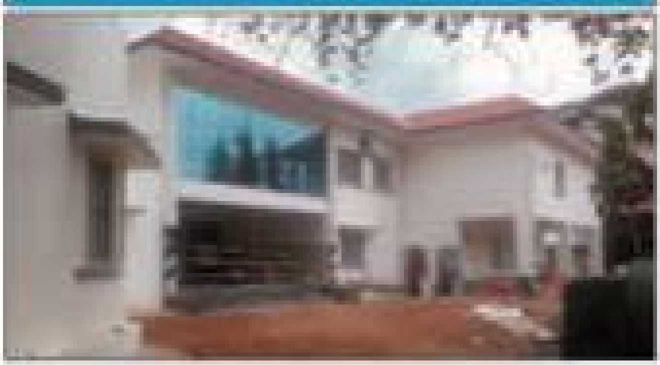

सतर्कता कार्य–कलाप

यह कम्पनी एक छोटी परामर्शदात्री संगठन है, इसलिए कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना तथा डिजाइन एवं इंजीनियरिंग) श्री एस. ए. जरवानी ने दिनांक 30.06.2014 तक अंश–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी (C V O) के रूप में काम किया है। महाप्रबंधक (परियोजनाएं) श्री एस. सी. गर्ग, अंश–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिनांक 01.07.2014 से 13.11.2014 तक काम किया है। दिनांक 14.11.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये उप–महाप्रबंधक (विद्युत) श्री राजीव कुमार अग्रवाल, कम्पनी में अंश–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। सांविधिक एजेंसियों को मासिक एवं रिपोर्ट भेजी जाती है एवं सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले निर्देशों, अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित शिकायत पत्रों की जानकारी जाता है एवं मांगी गये तथ्यों को समय पर उचित माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में वांछित सुधार एवं उन्नति हेतु उनकी समीक्षा जारी है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चस्तर नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी ने 27 अक्टूबर, 2014 से 1 नवम्बर, 2014 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। पहले दिन ही कर्मचारियों द्वारा सत्य निष्ठा शपथ समारोह से आयोजित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर श्री प्रदीप पाण्डेय, सीएमडी, एच एस सी सी तथा श्री ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक तथा कम्पनी के कर्मचारियों को श्री एस. सी. गर्ग, अंश-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी, एच एस सी सी शपथ दिलाते हुये

कल्याण-कारी कार्यकलाप

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनकी फैमली के लिये विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेल-कूदों का आयोजन करती है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह – 2015

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का अनुष्ठान

राजभाषा की उन्नति एवं कार्यान्वयन (Implementation And Promotion of Official Language)

कार्यालय में वर्ष 2014–15 के दौरान राजभाषा हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम तथा उसके नियमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कार्यों में हिन्दी की कार्यकारी जानकारी को इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी गई है। सभी मानक प्रपत्र, फाईल आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिन्दी में टिप्पण, आलेखन और पत्राचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हिन्दी में उत्साहपूर्वक काम करने के उद्देश्य से कम्पनी में 15.09.2014 से 29.09.2014 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया है, जिसके दौरान हिन्दी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, कम्पनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा इकाई की सदस्य भी है, जिसके तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, संगोष्ठियों इत्यादि में प्रतिनिधित्व भी करती है।

कम्पनी के कर्मचारी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में तिरुवनंतपुरम में आयोजित दिनांक 29.12.2014 से 30.12.2014 के दौरान हिन्दी सम्मेलन एवं कार्यशाला तथा दिनांक 01.11.2014 से 02.11.2014 के दौरान अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन तथा कार्यशाला में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, श्री श्रवण कुमार, हिन्दी सहायक एवं अनुवादक " राजभाषा गौरव सम्मान " मिला है।

वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग प्रमुख

श्री एस. ए. उस्मानी
मुख्य महाप्रबंधक

श्री बी. डी. गोविन्दा राव
मुख्य महाप्रबंधक

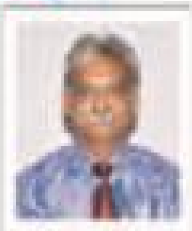

श्री एस. डी. गर्ग
मुख्य महाप्रबंधक

श्री रविन्द्र कुमार पाठक
विधि एवं सेवा तथा कम्पनी सचिव

श्री प्रमोद कुमार
[illegible]

श्री पी. के. भाटिया
महाप्रबंधक

श्री राजीव
एस.बी.यू. – छत्तीसगढ़

श्री एस. सप्पाना
उत्तर पूर्व

श्रीमती मोनिका खन्ना
वास्तुकला एवं [illegible]

श्री आर. के. अग्रवाल
विद्युत

श्री देबाशिष बंद्योपाध्याय
सिविल परियोजनाएं

श्री शिवन्ना
[illegible]

श्री तापस नाथ
बी.एम.ई.

श्री विकास माथुर
[illegible]

श्री ए. के. मीना
सूचना तकनीकी

श्री एस. एस. [illegible]
[illegible]

श्री नरेन्द्र कुमार
कार्पोरेट विकास

श्री रवि [illegible]
बी.एम.ई.

श्री दीपक कुमार
[illegible]

श्री एस. एस. मिश्रा
[illegible]

श्री बी. के. मैनन
मानव संसाधन

एच एस सी सी के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (द्वितीय तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट न. 4, डी. डी. ए. – एल. एस. सी., सेंटर – II
वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली – 110096
सी.आई.एन. संख्या : U 74140 DL 1983 GOI 015459

कॉरपोरेट कार्यालय :

ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)

परियोजना एवं साईट कार्यालय :

असम

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई,
क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
प्रथम तल, एक्स–पुलिस लाईन
नजदीक काली मंदिर, पोस्ट– तेजपुर
जिला– सोनितपुर, पिन – 784001 (असम)

छत्तीसगढ़

मकान नम्बर : बी–19/7, नजदीक पानी की टंकी,
न्यू राजेन्द्र नगर,
रायपुर – 492001

प्रमुख साइट कार्यालय (MAJOR SITE OFFICES)

01. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली
02. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), सरिता विहार, नई दिल्ली
03. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC), नई दिल्ली
04. सफदरजंग अस्पताल का पूनःविकास, नई दिल्ली
05. गुरू तेग बहादुर डायग्नोस्टिक सेंटर तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर, पंजाब
06. उन्नत केंसर डायग्नोस्टिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, भटिंडा, पंजाब
07. फिज्योथैरेपी एवं नर्सिंग कॉलेज, पटियाला, पंजाब
08. सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला, पंजाब
09. डा. राजेन्द्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, अति–विषिष्ट ब्लॉक, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेष
10. कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज (KCMC), करनाल, हरियाणा
11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), रायबरेली
12. भारतीय समवेज औषध संस्थान (IIIM), जम्मू
13. नेषनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडीसिन, फेस – III, बैंगलूर
14. राष्ट्रीय पषु बायो–तकनीकी संस्थान – हैदराबाद
15. एम्स समानार्थी संस्थान हेतु हाऊसिंग कम्पलैक्स, भुवनेष्वर
16. आयुष – षिलौंग
17. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम
18. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल, मणिपुर
19. क्षेत्रीय पेरा–मेडिकल एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIPANS), आइजोल
20. डिस्ट्रीक्ट जनरल अस्पताल, डिकोया, श्रीलंका
21. आई. आई. टी., खड़गपुर, पष्चिम बंगाल
22. पी.जी.आई., सेटेलाइट सेंटर, संगरूर, पंजाब
23. केरला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन (NRHM) की साइटें
24. छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन (NRHM) की साइटें
25. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन (NRHM) की साइटें

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
हिमालय हाऊस,
23, कस्तूरबा गांधी रोड,
नई दिल्ली – 110001

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
4, शिवाजी मार्ग,
नई दिल्ली – 110015

सचिवालीय लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव
फ्लैट नम्बर 3, सूद बिल्डिंग
तेल मिल रोड,
राम नगर, पटपटगंज,
नई दिल्ली – 110055

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
कॉरपोरेषन बैंक
एच डी एफ सी बैंक

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
(एक मिनी रत्न कम्पनी)

कारपोरेट कार्यालय :
ई–6 (ए), सैक्टर–1, नौएडा – 201 301 (उ० प्र०)
फोन. : 0120–2542436, 37, 38, 39, 40
फैक्स : 0120–2542447, 2533001
सी.आई.एन. संख्या : यू74140डीएल1983जीवोआई015459
वेबसाइट : www.hsccltd.co.in